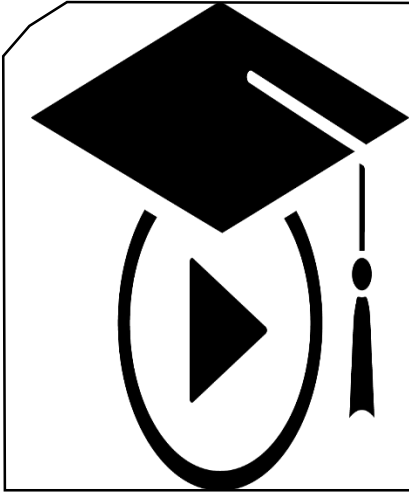




INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

राजस्थान SI

उपनिरीक्षक / प्लाटून कमांडर

भाग - 3

भूगोल + राजव्यवस्था + अर्थव्यवस्था (राजस्थान)

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “राजस्थान उपनिरीक्षक (SI / प्लाटून कमांडर) को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “राजस्थान उपनिरीक्षक (SI / प्लाटून कमांडर)” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 01414045784, 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp करें - <https://wa.link/c37ssj>

Online Order करें - <https://shorturl.at/mpOV7>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

राजस्थान का भूगोल

1. सामान्य परिचय	1
2. भौतिक प्रदेश	21
3. नदियाँ एवं झीलें	32
4. राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाएँ	51
5. राजस्थान की जलवायु	58
6. मृदा संसाधन	68
7. वन संपदा एवं वन्य जीव अभ्यारण्य	73
8. राजस्थान में कृषि	82
9. राजस्थान में खनिज संसाधन	89
10. जनसंख्या - वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात	98
11. प्रमुख उद्योग	104
12. जैव विविधता एवं इनका संरक्षण	107

राजस्थान की राजव्यवस्था

1. राज्यपाल	112
2. मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्	119
3. राज्य विधान सभा	127
4. उच्च न्यायालय	135

5. राजस्थान लोक सेवा आयोग	142
6. राजस्थान में जिला प्रशासन	143
7. राज्य मानवाधिकार आयोग	147
8. लोकायुक्त	149
9. राज्य निर्वाचन आयोग	151
10. राज्य सूचना आयोग	152
11. लोकनीति	154
12. विधि की अवधारणा	157
13. नागरिक अधिकार - पत्र घोषणापत्र	160
14. महिला एवं बाल अपराध	163

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

1. अर्थव्यवस्था का वृहत् परिदृश्य	172
2. राजस्थान कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दे	186
3. राजस्थान में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र	191
4. अभिवृद्धि, विकास एवं नियोजन	201
5. गरीबी एवं बेरोजगारी	206
6. विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ	212

राजस्थान का भूगोल

अध्याय - 1

सामान्य परिचय

प्रिय छात्रों, राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करने के लिए हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे-

1. सामान्य परिचय
2. भौतिक स्वरूप

1. सामान्य परिचय -

प्रिय छात्रों, सामान्य परिचय के अंतर्गत हम राजस्थान के निम्न विषयों को विस्तार से समझेंगे-

- (क) राजस्थान शब्द का उल्लेख
- (ख) राजस्थान की स्थिति
- (ग) राजस्थान का विस्तार
- (घ) राजस्थान का आकार
- (ङ) राजस्थान की आकृति

2. भौतिक स्वरूप -

इसी प्रकार भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम निम्न विषयों को विस्तार से समझेंगे -

- (क) पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश
- (ख) अरावली पर्वतीय प्रदेश
- (ग) पूर्वी मैदानी प्रदेश
- (घ) दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश

1. राजस्थान का परिचय

राजस्थान शब्द का अर्थ :- राजाओं का स्थान

(क) राजस्थान शब्द का उल्लेख :-

- राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख राजस्थानी साहित्य विक्रम संवत् 682 ई. में उत्कीर्ण बसंतगढ़ (सिरोही जिला) के शिलालेख में मिलता है।
- मारवाड़ इतिहास के प्रसिद्ध लेखक “मुहणोत नैणसी” ने भी अपनी पुस्तक “नैणसी री ख्यात” में भी **राजस्थान शब्द का प्रयोग** किया है, लेकिन इस पुस्तक में यह शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ नहीं लगता। महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र के लिए “मरुकान्तार” शब्द का उल्लेख किया है।

जॉर्ज थॉमस पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने सन् 1800 ई. में इस भौगोलिक क्षेत्र को “**राजपूताना**” शब्द कहकर पुकारा था। इस तथ्य का वर्णन विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक “मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर थॉमस” में किया है।

जॉर्ज थॉमस का परिचय :-

- जॉर्ज थॉमस एक आयरलैंड के सैनिक थे, जो कि 18 वीं सदी में भारत आए और 1798 से 1801 तक भारत में एक छोटे से क्षेत्र (हिसार-हरियाणा) के राजा रहे।

- इन्होंने राजस्थान को “राजपूताना” शब्द इसलिए कहा क्योंकि मध्यकाल एवं पूर्व आधुनिक काल में राजस्थान में अधिकांश राजपूत राजवंशों का शासन था। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र को “राजपूताना” कहा जाता था।

विलियम फ्रैंकलिन :-

- विलियम फ्रैंकलीन मूल रूप से लंदन के निवासी थे। यह जॉर्ज थॉमस के घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने 1805 ई. में जॉर्ज थॉमस के ऊपर “A Military Memories of George Thomas” नामक पुस्तक लिखी थी।
- अकबर के नवरत्नों में से एक मध्यकालीन इतिहासकार “**अबुल फजल**” ने इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए “**मरुभूमि**” शब्द का प्रयोग किया है।
- 1829 ईस्वी में “**कर्नल जेम्स टॉड**” ने अपनी पुस्तक “**एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान**” में सर्वप्रथम राजस्थान को “रायथान, रजवाड़ा” या राजस्थान का नाम दिया था।

कर्नल जेम्स टॉड :-

- **कर्नल जेम्स टॉड** 1818 से 1822 के मध्य मेवाड़ (उदयपुर) प्रांत में एक पॉलिटिकल (राजनीतिक) एजेंट थे तथा कुछ समय तक मारवाड़ रियासत के ब्रिटिश एजेंट भी रहे।
- **कर्नल जेम्स टॉड** ब्रिटेन के मूल निवासी थे, उन्होंने अपने घोड़े पर घूम - घूम कर राजस्थान के इतिहास लेखन का कार्य किया इसलिए इन्हें **घोड़े वाले बाबा** के नाम से भी जाना जाता है।
- **कर्नल जेम्स टॉड** को “**राजस्थान के इतिहास का पितामह**” कहा जाता है।
- **कर्नल जेम्स टॉड** की पुस्तक **एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान** को “**सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया**” के नामक से भी जानते हैं।
- इस पुस्तक का पहली बार हिंदी अनुवाद राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार “**गौरीशंकर - हीराचंद ओझा**” ने किया था। इसे हिंदी में “**प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण**” कहते हैं।
- **कर्नल टॉड** सर्वेक्षण के सिलसिले में अजमेर और उदयपुर में कई जगह पर रहे थे- उनमें भीम नामक कस्बे में छोटा सा गाँव बोरसवाडा भी था- जो जंगलों और अरावली-पहाड़ों से घिरा हुआ है।
- उन्हें यह जगह पसंद आई तो उदयपुर के महाराजा भीम सिंह की सहमति से स्वयं के लिए बोरसवाडा में एक छोटा सा किला बनवा लिया।
- महाराज भीम सिंह ने **कर्नल** की सेवाओं से प्रभावित होकर गाँव का नाम **टॉडगढ़** रख दिया, जो कालान्तर में **टाडगढ़** कहलाने लगा। टाडगढ़ आज ब्यावर जिले की एक तहसील का मुख्यालय है।
- **कर्नल टॉड** के किले में वर्तमान में सरकारी स्कूल चलता है।

(ख) राजस्थान की स्थिति:- प्रिय छात्रों, राजस्थान की स्थिति को हम सर्वप्रथम पृथ्वी पर तत्पश्चात एशिया में और फिर भारत में देखेंगे।

(1) राजस्थान की स्थिति "पृथ्वी" पर :- पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति को समझने से पहले निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना होगा -

(क) अंगारा लैंड / यूरेशियन प्लेट

(ख) गोंडवाना लैंड प्लेट

(ग) टेथिस सागर

(घ) पेंजिया

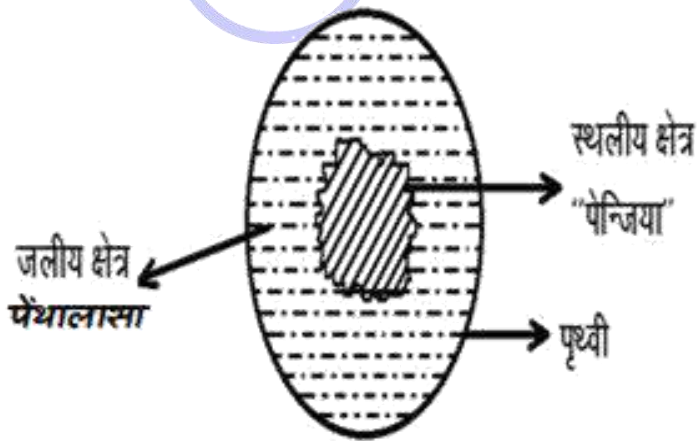
(ड) पेंथालासा

नोट:- प्रिय छात्रों, कृपया ध्यान दें कि - आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी दो भागों में विभाजित थी।

1. स्थल

2. जल

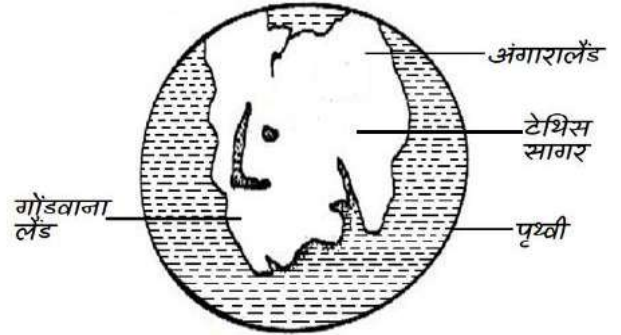
- जैसा कि आज भी दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान में यदि हम स्थल मंडल को देखें तो हमें यह कई भागों में विभाजित दिखाई देता है, जैसे सात महाद्वीप अलग - अलग हैं।
- उनके भी कई देश एक - दूसरे से काफी अलग अलग हैं। लेकिन लाखों - करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण स्थलमंडल सिर्फ एक ही था।
- इसी स्थलीय क्षेत्र को "पेंजिया" के नाम से जानते थे तथा शेष बचे हुए भाग को (जल वाले क्षेत्र को) "पेंथालासा" के नाम से जानते थे।
- नीचे दिए गए मानचित्र से समझने की कोशिश कीजिए-



- प्रिय छात्रों, पृथ्वी परिक्रमण एवं परिभ्रमण गति करती है अर्थात् अपने स्थान पर भी (1 दिन में) घूमती है, और सूर्य का चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी की इस गति की वजह से स्थल मंडल की प्लेटों में हलचल होने की वजह से पेंजिया (स्थलीय क्षेत्र) दो भागों में विभाजित हो गया जिसके उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ। इस स्थलीय क्षेत्र को "अंगारा लैंड / यूरेशियन प्लेट" के नाम से जानते हैं।

इसके दूसरे भाग (दक्षिणी) में दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ, इस क्षेत्र को "गोंडवाना लैंड" 'प्लेट' के नाम से जानते हैं।

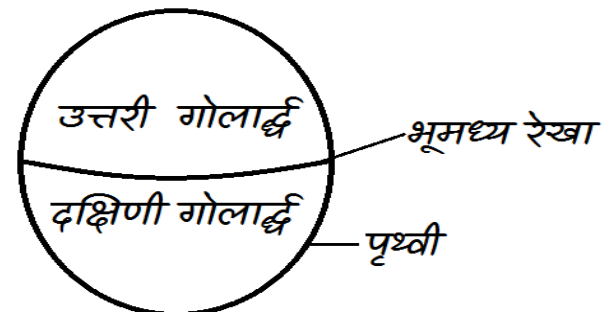
- दोनों प्लेटों के बीच में विशाल सागर था जिसे "टेथिस सागर" के नाम से जानते थे।
- इसको नीचे दिए गए मानचित्र की सहायता से समझते हैं-



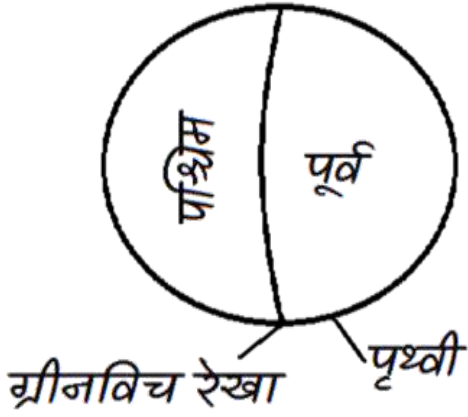
विशेष नोट:- राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान तथा रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें "टेथिस सागर" के अवशेष हैं तथा राजस्थान का मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र (अरावली पर्वतमाला) एवं दक्षिण पूर्वी पठारी भाग "गोंडवाना लैंड" प्लेट के हिस्से हैं।

टेथिस सागर- टेथिस सागर को गोंडवाना लैंड प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य स्थित एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है जो कि एक छिछला और संकरा सागर था, और इसी में जमा अवसादों के प्लेट विवर्तनिकी के परिणाम स्वरूप अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण हिमालय और आल्प्स जैसे महान पहाड़ों की रचना हुई है।

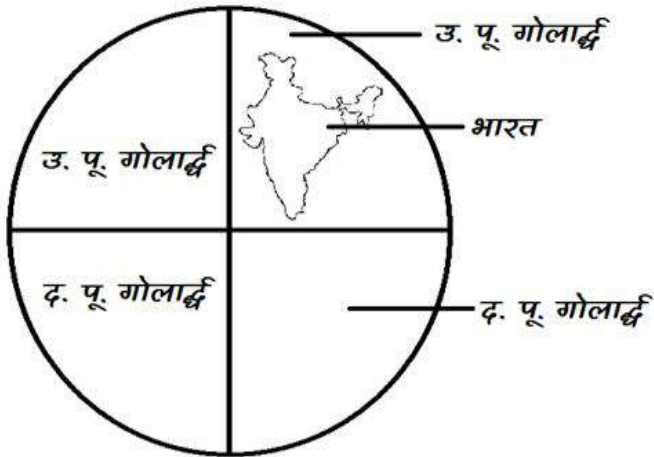
प्रिय छात्रों, अब तक हम अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर, पेंजिया तथा पेंथालासा का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति, का अध्ययन करते हैं। नीचे दिए गए मानचित्रों को ध्यान से समझिए-



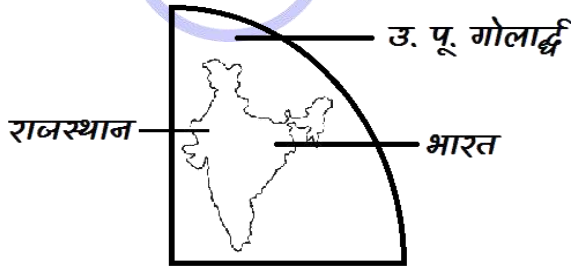
मानचित्र - 1



मानचित्र - 2



मानचित्र - 3



मानचित्र - 4

प्रिय छात्रों ऊपर दिए गए मानचित्र के बारे में एक बार समझते हैं।

- पृथ्वी को भूमध्य रेखा (विषुवत रेखा) से दो भागों में विभाजित किया गया है -

1. उत्तरी गोलार्द्ध
2. दक्षिणी गोलार्द्ध

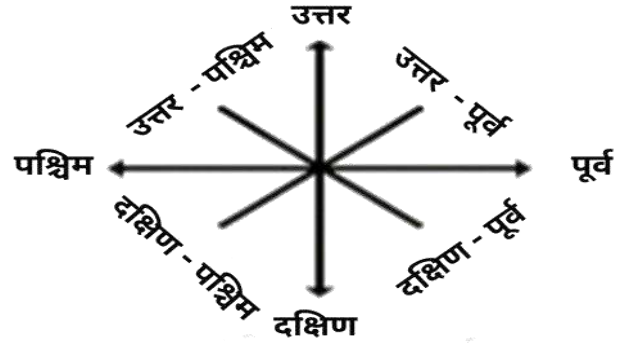
इसे आप मानचित्र - 1 के माध्यम से समझ सकते हैं।

इसी प्रकार ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है-

1. पूर्वी क्षेत्र
2. पश्चिमी क्षेत्र

जिसे आप मानचित्र - 2 में देख सकते हैं।

नोट :



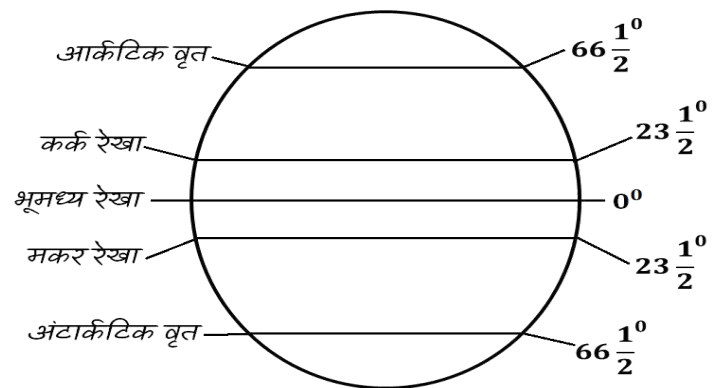
1. विश्व (अर्थात् पृथ्वी पर) में राजस्थान "उत्तर - पूर्व" दिशा में स्थित है। (देखें मानचित्र- 3)
2. एशिया महाद्वीप में राजस्थान "दक्षिणी -पश्चिम" दिशा में स्थित है। (देखिए मानचित्र - 3, 4)
3. भारत में राजस्थान उत्तर - पश्चिम में स्थित है। देखिए मानचित्र -4 (भारत)]

अब तक हमने देखा कि राजस्थान शब्द का उद्भव कैसे हुआ? तथा हम ने समझा कि पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति कहां पर है ? अब हम अपने अगले बिंदु "राजस्थान का विस्तार" के बारे में पढ़ते हैं -

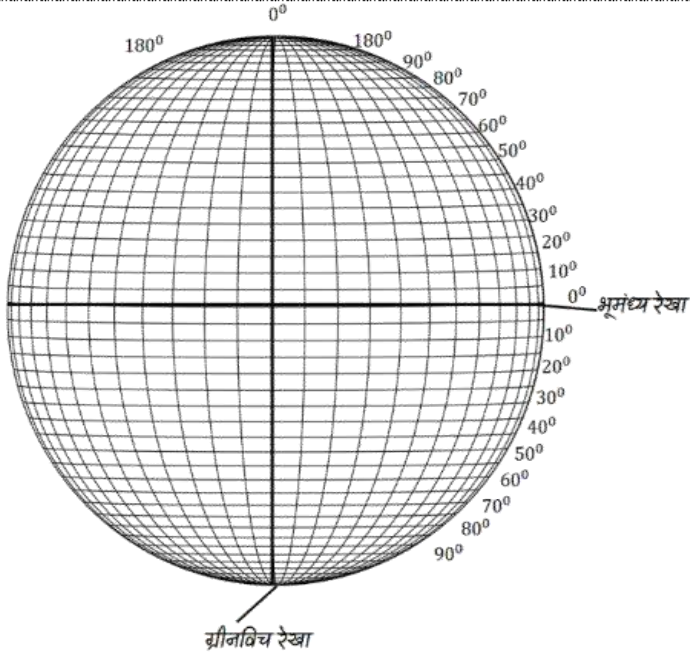
राजस्थान का विस्तार :- इसका अध्ययन करने से पहले इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझिए-

1. भूमध्य रेखा (विषुवत रेखा)
2. कर्क रेखा
3. मकर रेखा
4. अक्षांश
5. देशांतर

इन मानचित्र को ध्यान से समझिए-



मानचित्र - 1



मानचित्र - 2

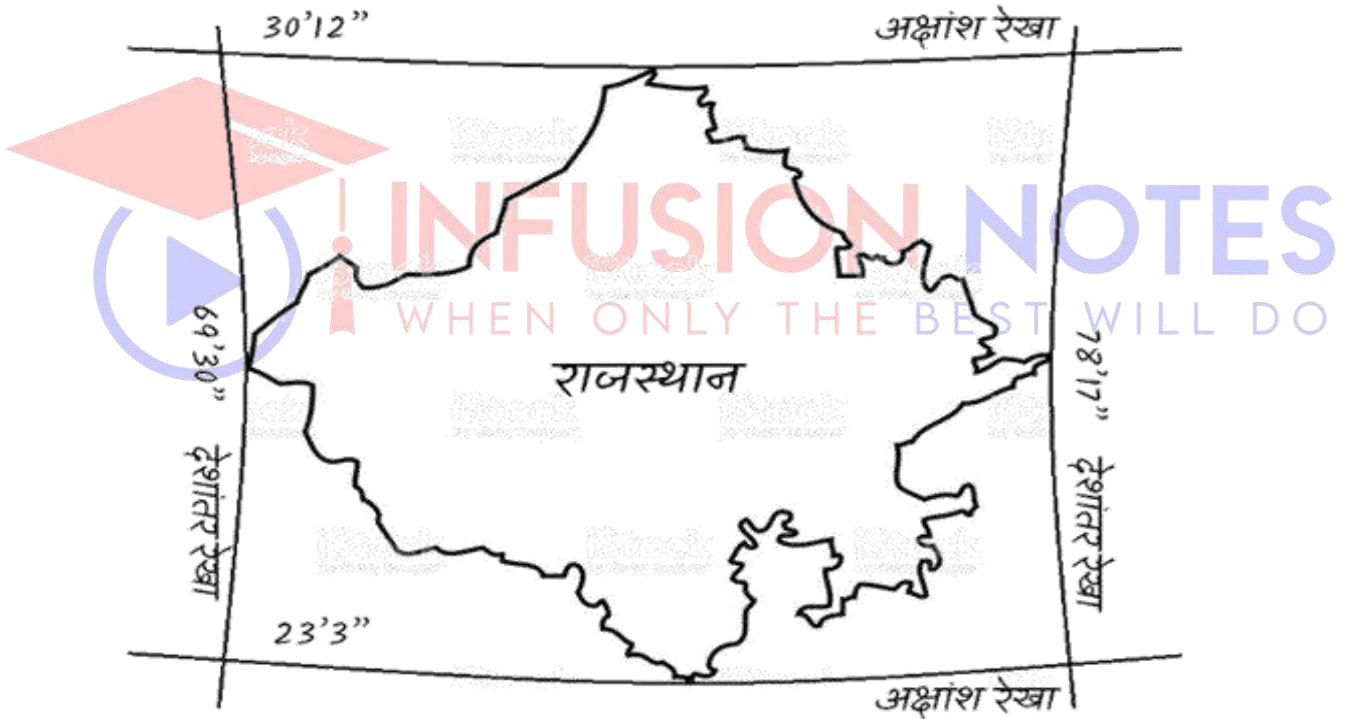
नोट - भूमध्य रेखा :- “विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा” पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को दो गोलार्द्धों, उत्तरी व दक्षिणी में विभाजित करती है।

इस रेखा पर प्रायः वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती, यही कारण है कि इसे **विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा** कहा जाता है।

विषुवत रेखा के उत्तर में कर्क रेखा है व दक्षिण में मकर रेखा है।

नोट- पृथ्वी या ग्लोब को दो काल्पनिक रेखाओं द्वारा “उत्तर - दक्षिण तथा पूर्व - पश्चिम” में विभाजित किया गया है। इन्हें अक्षांश व देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं।

अक्षांश रेखाएँ - वह रेखाएँ जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर बनी हुई हैं, अर्थात् भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। **भूमध्य रेखा को अक्षांश रेखा माना गया है। (देखें मानचित्र -1)**



ग्लोब पर कुछ अक्षांशों की संख्या (90° उत्तरी गोलार्द्ध में और 90° दक्षिणी गोलार्द्ध में) कुल 180° है तथा अक्षांश रेखा को शामिल करने पर इनकी संख्या 181° होती है।

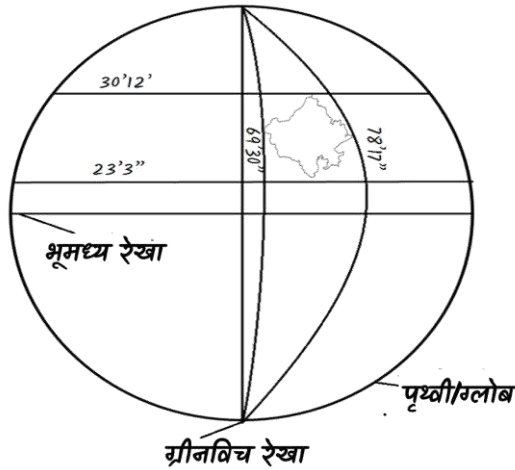
देशांतर रेखाएँ- उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360° रेखाओं को देशांतर रेखाएँ कहा जाता है।

पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तर - दक्षिण दिशा में खींची गयी। **काल्पनिक रेखाओं को याम्योत्तर, देशान्तर, मध्यान्तर रेखाएँ कहते हैं।**

- ग्रीनविच, (जहाँ ब्रिटिश राजकीय वैधशाला स्थित है) से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं।
- इसका मान देशांतर है तथा यहाँ से हम 180° डिग्री पूर्व या 180° डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं।

नोट - उपर्युक्त विषय को अधिक विस्तार से समझने के लिए हमारी अन्य पुस्तक “भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ें”। राजस्थान का **अक्षांशीय विस्तार 23°03' से 30°12' उत्तरी अक्षांश** ही तक है जिसका अंतर 7°09' मिनट है।

जबकि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार $69^{\circ}30''$ से $78^{\circ}17''$ पूर्वी देशांतर है जिसका अंतर $8^{\circ}47'$ मिनट है (देखें मानचित्र)



मानचित्र (A)

नोट- राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार $7^{\circ}9''(30^{\circ}12'' - 23^{\circ}03'')$ है तथा कुल देशांतरीय विस्तार $8^{\circ}47''(78^{\circ}17'' - 69^{\circ}30'')$ है।

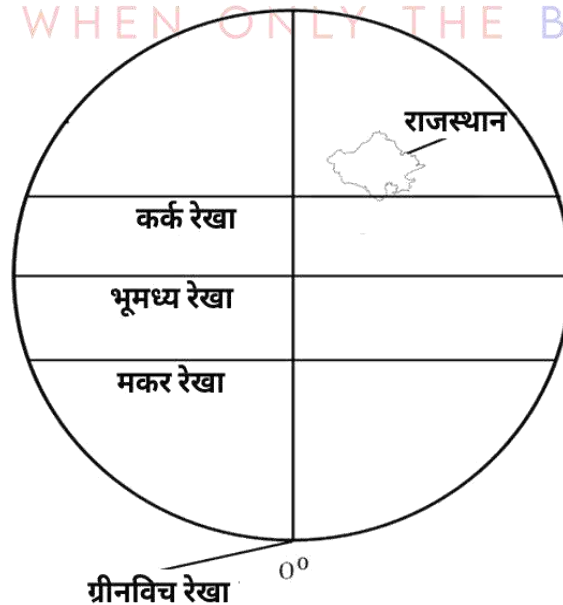
$1^{\circ} = 4$ मिनट

$1'' = 111.4$ किलोमीटर होता है।

- राजस्थान का कुल क्षेत्रफल $3,42,239$ वर्ग किलोमीटर है जो कि संपूर्ण भारत का 10.41% है।
- भारत का कुल क्षेत्रफल $32,87,263$ वर्ग किलोमीटर है।

- जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। जो संपूर्ण विश्व का 2.42% है।
- 1 नवंबर 2000 से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का **सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश** था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग होने पर भारत का **सबसे बड़ा राज्य** (क्षेत्रफल की दृष्टि से) राजस्थान बन गया।
- 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या $68,548,437$ थी जो कि कुल देश की जनसंख्या का 5.67% है।

➤ **कर्क रेखा राजस्थान में स्थित:-**



कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है-

- गुजरात
 - राजस्थान
 - मध्य प्रदेश
 - छत्तीसगढ़
 - झारखंड
 - पश्चिम बंगाल
 - त्रिपुरा
 - मिजोरम
- राजस्थान में **कर्क रेखा बाँसवाड़ा जिले** के मध्य से **कुशलगढ़ तहसील** से गुजरती है इसके अलावा **कर्क रेखा इंगूरपुर जिले** को भी स्पर्श करती है अर्थात् **कुल दो जिलों से होकर गुजरती है।**

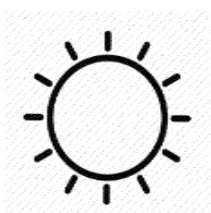
- राजस्थान में **कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर** है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग **कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है।**
- राजस्थान का **कर्क रेखा से सर्वाधिक नजदीकी शहर बाँसवाड़ा है।**
- भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, अतः वहाँ पर तापमान अधिक होता है। जैसे - जैसे भूमध्य**



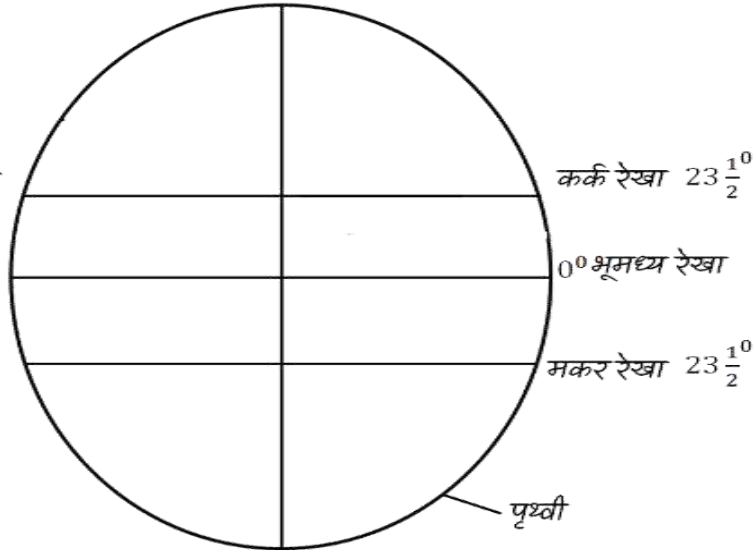
रेखा से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे - वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और तापमान में कमी आती जाती है।

- राजस्थान में बाँसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं जबकि गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं।
- कारण - बाँसवाड़ा सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है तथा श्रीगंगानगर सबसे उत्तर में स्थित है।

- राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्य का सबसे गर्म जिला बाँसवाड़ा होना चाहिए एवं राज्य का सबसे ठंडा जिला श्रीगंगानगर होना चाहिए लेकिन वर्तमान में राज्य का सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला चूरू है। यह जिला सर्दियों में सबसे अधिक ठंडा एवं गर्मियों में सबसे अधिक गर्म रहता है। इसका कारण यहाँ पाई जाने वाली रेत व जिप्सम है।



22 जून
22 दिसम्बर

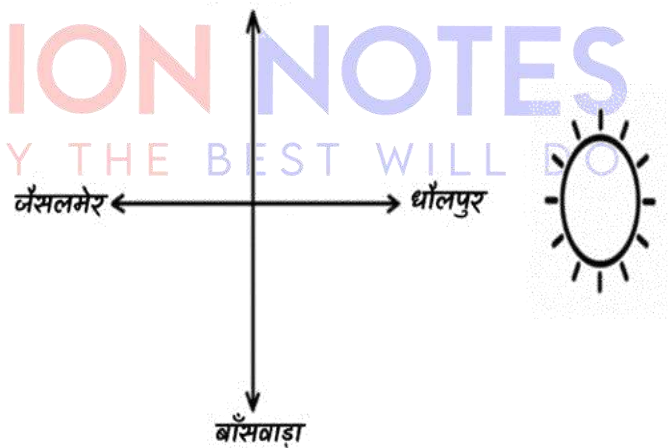


चित्र:- मानचित्र को ध्यान से समझिए

नोट - जैसे कि ऊपर दिए गए मानचित्र में समझाया है कि, सूर्य 21 जून को सीधा कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को सीधा मकर रेखा पर चमकता है।

- इसके अलावा सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है। अर्थात् 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे चमकने के बाद जुलाई से दिसंबर तक जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे-वैसे सूर्य का सीधा प्रकाश मकर रेखा की ओर बढ़ता जाता है, फिर 22 दिसंबर तक मकर रेखा पर पहुंचने के बाद जनवरी, फरवरी से जून तक जैसे-जैसे समय बढ़ता है वैसे-वैसे सूर्य का सीधा प्रकाश कर्क रेखा की ओर बढ़ता है।
- अर्थात् सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ती हैं इस क्षेत्र को **उष्णकटिबंधीय क्षेत्र** कहते हैं। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें ना पहुंचने के कारण वहाँ वर्ष भर बर्फ पाई जाती है।
- पूर्वी देशांतरीय भाग सूर्य के सबसे पहले सामने आता है, इस कारण **सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त राजस्थान के पूर्वी भाग धौलपुर** में होता है, जब कि सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है। अतः जैसलमेर में सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त होता है।

श्री गंगानगर



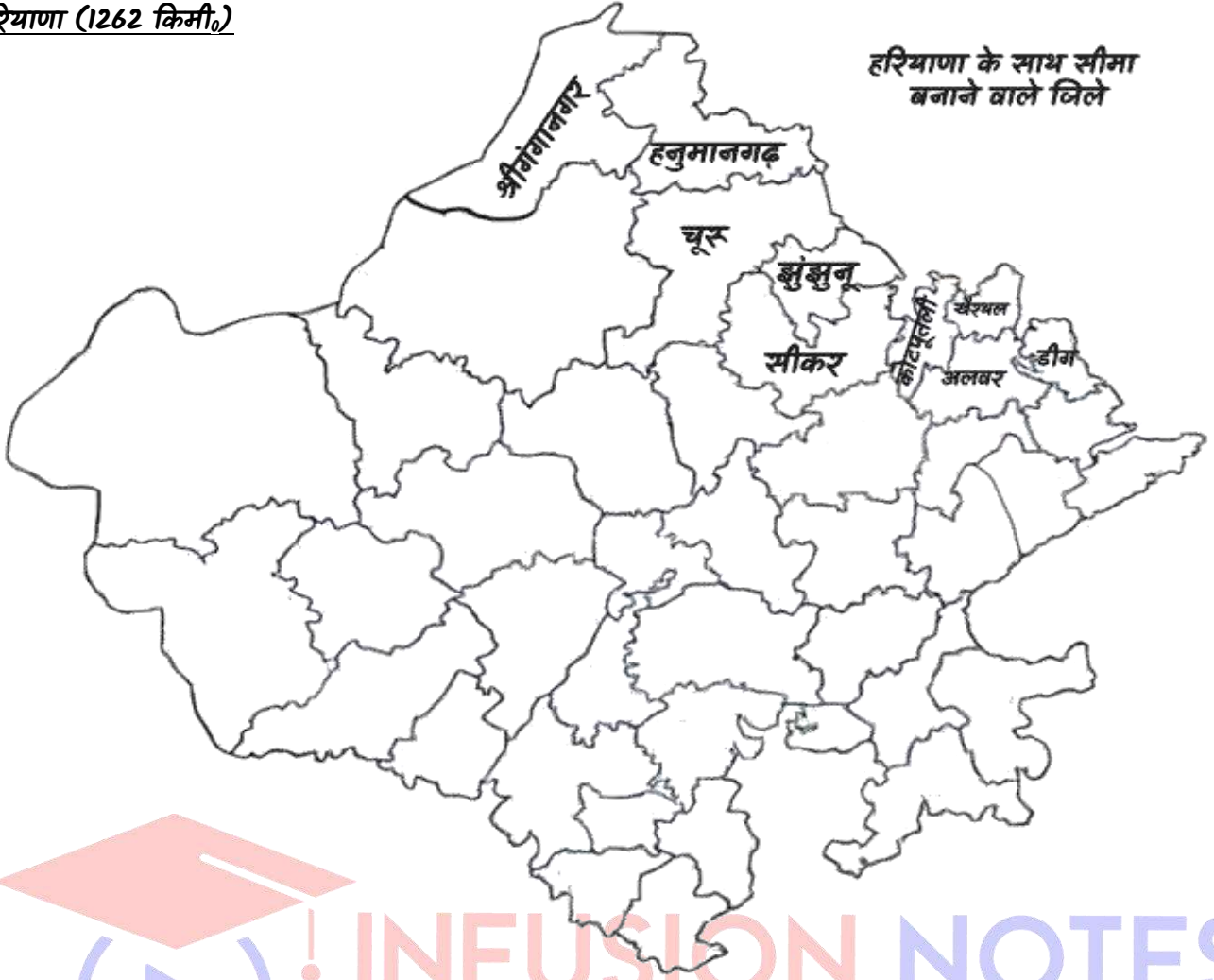
विस्तार:-

राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई **826 किलोमीटर** है तथा इसका विस्तार उत्तर में श्रीगंगानगर जिले के कोणा गाँव से दक्षिण में बाँसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के बोरकुंड गाँव तक है। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई **869 किलोमीटर** है तथा विस्तार पूर्व में धौलपुर जिले के जगमोहनपुरा की ढाणी, सिलाना गाँव, राजाखड़ा तहसील से पश्चिम में जैसलमेर जिले के कटरा गाँव (सम-तहसील) तक है।



हरियाणा (1262 किमी^०)

हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले जिले



राजस्थान के 7 जिलों (खैरथल-तिजारा, अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, कोटपूतली-बहरोड़, डीग और चूरु) की सीमा हरियाणा के 7 जिलों (सिरसा, फतेहबाद, हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात) से लगती है।

- हरियाणा सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला चूरु है।
- हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ व न्यूनतम सीमा अलवर की लगती है तथा सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ है।
- मेवात (नूह) नव निर्मित जिला है जो राजस्थान के अलवर जिले को छूता है।

शोर्ट ट्रिक

हरियाणा की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले हैं।
“**खैर हनुमान ने डीग के झुंझुने चुराकर कोट अली को दिए**”

सूत्र	जिला
खैर	- खैरथल
हनुमान	- हनुमानगढ़
डीग	- डीग
झुंझुने	- झुंझुनू

चूरु	- चूरु
कोट	- कोटपूतली-बहरोड़
अली	- अलवर

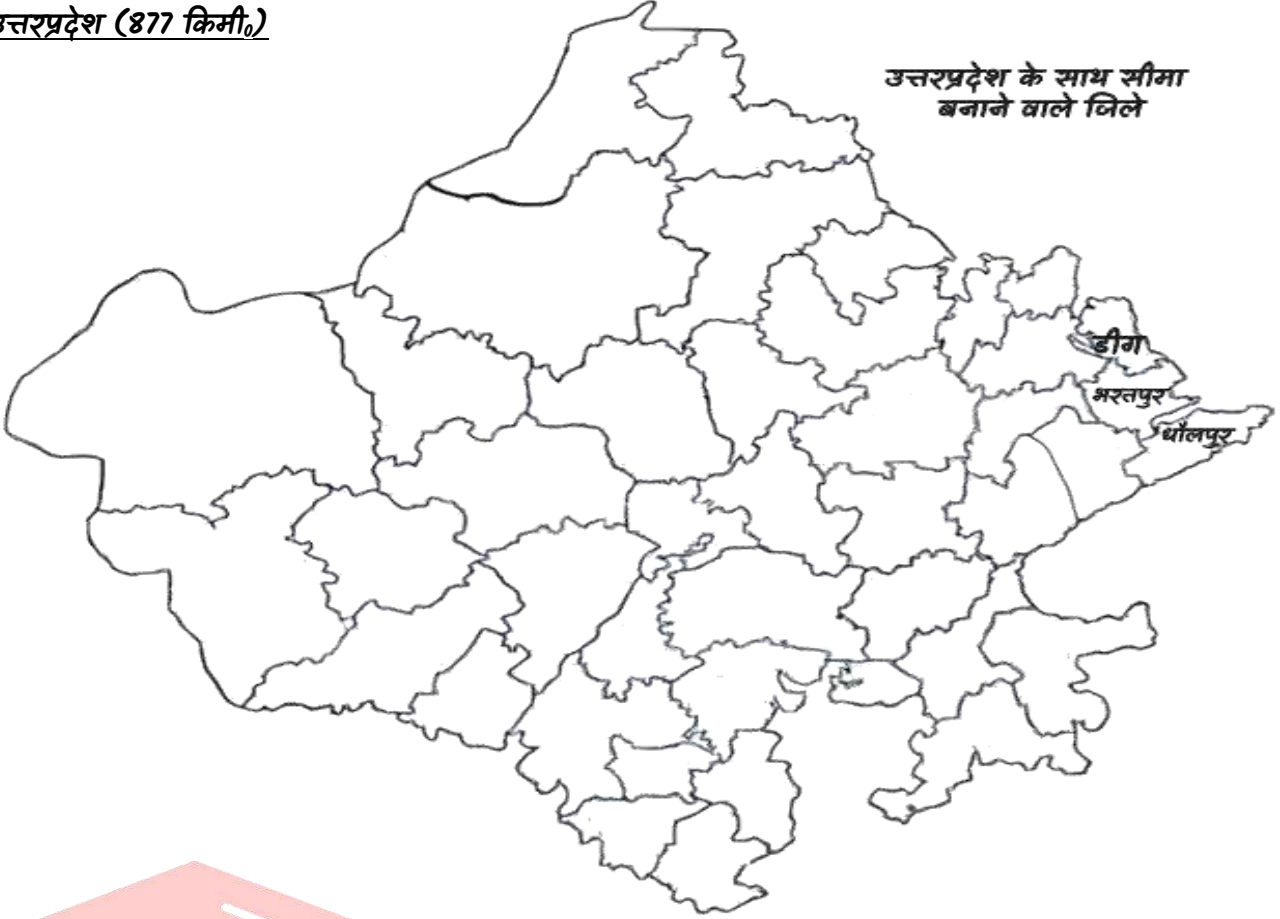
राजस्थान की सीमा से लगने वाले हरियाणा के जिले हैं।

“**महेन्द्र मेवा रेवाड़ी भी सिरसा हिसार फतेह करके खाएगा**”

सूत्र	जिला
महेन्द्र	- महेन्द्रगढ़
मेवा	- मेवा
रेवाड़ी	- रेवाड़ी
भी	- भिवानी
सिरसा	- सिरसा
हिसार	- हिसार
फतेह	- फतेहाबाद

उत्तरप्रदेश (877 किमी^०)

उत्तरप्रदेश के साथ सीमा
बनाने वाले जिले

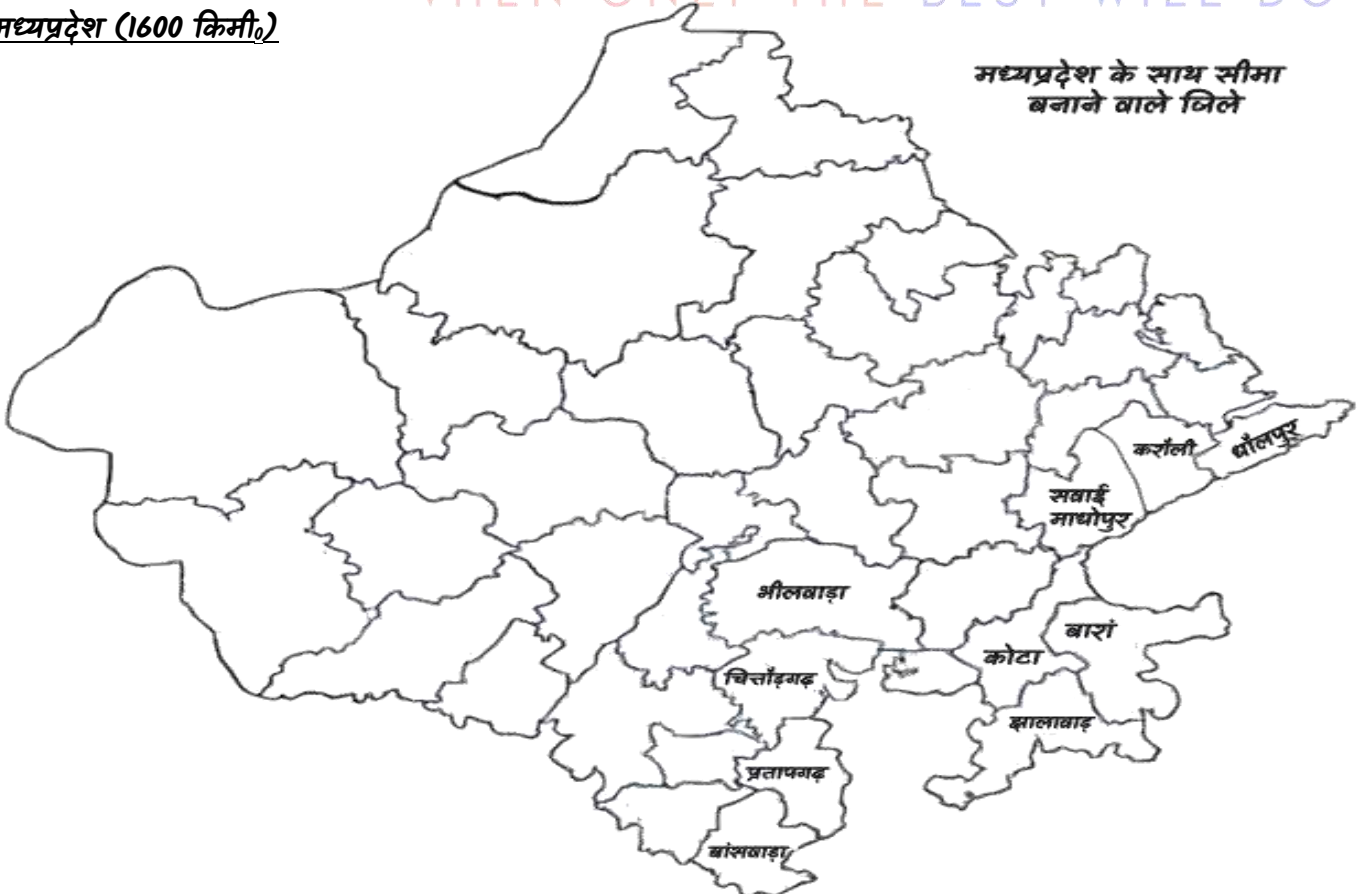


- राजस्थान के तीन जिलों (डीग, भरतपुर, धौलपुर) की सीमा उत्तरप्रदेश के दो जिलों (मथुरा व आगरा) से लगती हैं।
- उत्तरप्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा भरतपुर व न्यूनतम सीमा डीग की लगती हैं।

- उत्तरप्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला भरतपुर व छोटा जिला डीग हैं।

मध्यप्रदेश (1600 किमी^०)

मध्यप्रदेश के साथ सीमा
बनाने वाले जिले

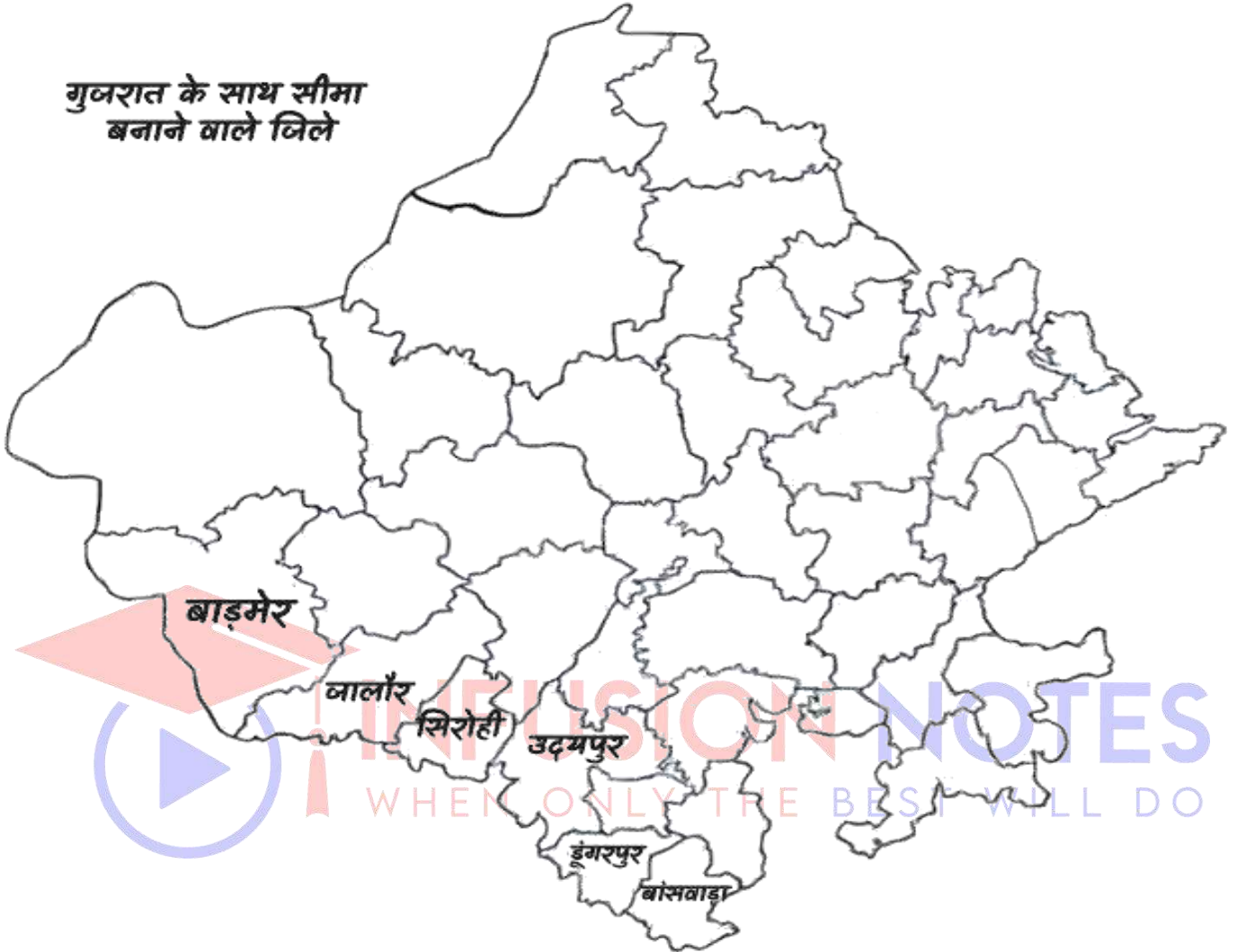


- राजस्थान के 10 जिलों (धौलपुर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, बांसवाड़ा, करौली) की सीमा मध्यप्रदेश के 10 जिलों की सीमा से लगती है। (झाबुआ, स्तलाम, मंदसौर, निमच, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्यांपुर, मुरैना) मध्यप्रदेश के साथ

सर्वाधिक सीमा झालावाड़ व न्यूनतम भीलवाड़ा की लगती है तथा सीमा के नजदीक मुख्यालय धौलपुर व दूर जिला मुख्यालय भीलवाड़ा है।

गुजरात (1022 किमी^०)

गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जिले



- राजस्थान के 6 जिलों (बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा) की सीमा गुजरात के 6 जिलों से लगती है। (कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर, दाहोद) गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर व न्यूनतम सीमा बाड़मेर की लगती है तथा सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय डूंगरपुर व दूर मुख्यालय बाड़मेर है।
- गुजरात सीमा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला बाड़मेर व छोटा जिला डूंगरपुर है।
- राजस्थान के पांच पड़ोसी राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात

शोर्ट ट्रिक

गुजरात की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले हैं।

“उदय डूंगर पर बासि बाड़ा जला”

सूत्र	जिला
उदय	- उदयपुर
डूंगर पर	- डूंगरपुर

बां	- बाँसवाड़ा
सि	- सिरोही
बाड़	- बाड़मेर
जला	- जालौर

राजस्थान की सीमा से लगने वाले गुजरात के जिले हैं।

“सादा पंचक बना माही”

सूत्र	जिला
सा	- साबरकांठा
दा	- दाहोद
पंच	- पंचमहल
क	- कच्छ
बना	- बनासकांठा
माही	- माहीसागर

❖ अन्य तथ्य

- 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से हमारे राज्य का नाम राजस्थान पड़ा।

कोटपूतली-बहरोड़

- **जिला मुख्यालय** - कोटपूतली-बहरोड़
- जयपुर एवं अलवर जिलों का पुनर्गठन कर नया जिला कोटपूतली- बहरोड़ गठित किया गया है
- कोटपूतली - बहरोड़ जिले में 8 तहसील (बहरोड़, बानसूर, नीमराना, मांढण, नारायणपुर कोटपूतली, विराटनगर, पावटा) हैं। कोटपूतली, विराटनगर, पावटा को जयपुर से जोड़ा गया है, अन्य सभी को अलवर से जोड़ा गया है।

खैरथल-तिजारा -

- **जिला मुख्यालय** - खैरथल
- अलवर जिले का पुनर्गठन कर नया जिला खैरथल तिजारा गठित किया गया है।
- नवगठित खैरथल-तिजारा जिले में 7 तहसील (तिजारा, किशनगढ़बास, खैरथल, कोटकासिम, हरसोली, टपूकडा, मुंदावर) हैं।

ब्यावर :-

- **जिला मुख्यालय** - ब्यावर
- अजमेर, पाली और भीलवाड़ा जिलों का पुनर्गठन करके नया जिला ब्यावर गठित किया गया है।
- इस नव गठित ब्यावर जिले में 7 उपखंड (ब्यावर, टाटगढ़, जैतारण, विजयनगर, रायपुर, मसूदा और बदनोर) शामिल किए गए हैं।

सलूमबर :-

जिला मुख्यालय - सलूमबर

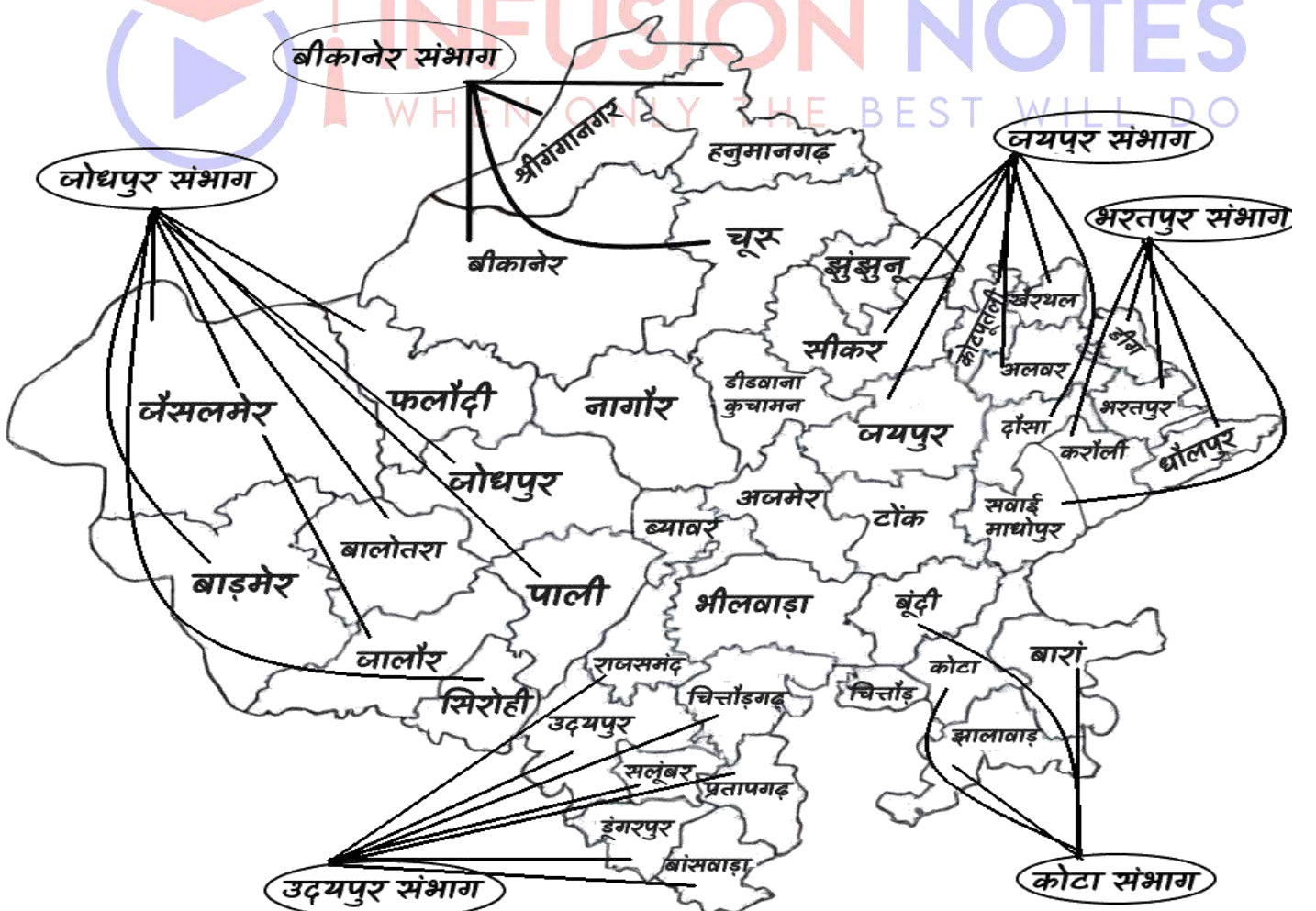
- उदयपुर जिले का पुनर्गठन करके नए जिले सलूमबर का गठन किया गया है।
- सलूमबर जिले में 5 उपखंड (सराडा, सेमारी, लसाडिया, झल्लारा और सलूमबर) शामिल किए गए हैं।

राजस्थान के संभाग

- 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी।
- शुरुआत में राजस्थान में 5 संभाग (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर) थे।
- 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाडिया ने बंद कर दिया।
- संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत 26 जनवरी 1987 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने की तथा अजमेर को जयपुर से अलग कर छठा संभाग बनाया।
- 4 जून 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने भरतपुर को सातवाँ संभाग बनाया।

राजस्थान के 7 संभागों के नाम निम्नलिखित हैं-

- | | |
|-----------|------------|
| 1. अजमेर | 2. उदयपुर |
| 3. कोटा | 4. जयपुर |
| 5. जोधपुर | 6. बीकानेर |
| 7. भरतपुर | |



अध्याय - 3

नदियाँ एवं झीलें

अपवाह तंत्र -

- जब नदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल का प्रवाह करती है, तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं।
- अपवाह तंत्र में नदियाँ एवं उसकी सहायक नदियाँ शामिल होती हैं।
- जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ मिल कर एक अपवाह तंत्र बनाती हैं उसी प्रकार सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ (झेलम, रावी, व्यास, चिनाब) मिलकर एक अपवाह तंत्र बनाती हैं।
- इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ भी अपवाह तंत्र बनाती हैं।
- भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है तथा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाली नदी ब्रह्मपुत्र है।

अब हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में।

- राजस्थान में कई नदियाँ हैं जैसे लूनी, माही, बनास, चंबला इसके अलावा यहाँ पर स्थित कई झीलें भी इस अपवाह तंत्र में शामिल होती हैं।
- प्रिय छात्रों! जैसा कि आपको मालूम है राजस्थान में **अरावली पर्वतमाला** स्थित है, यह राजस्थान के लगभग बीच में स्थित है इसलिए यह **राज्य की नदियों का स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित करती है।**
- इसके पूर्व में बहने वाली नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में तथा इसके पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अपना जल अरब सागर में लेकर जाती हैं।
- राजस्थान के अपवाह तंत्र को हम दो भागों में विभक्त करेंगे फिर उनके अन्य क्रमशः 4 एवं 3 उप भाग होंगे -
 - क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण
 - अपवाह के आधार पर वर्गीकरण

1. क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण :- को चार भागों में बाँटा गया है -

- (अ) उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान- इस तंत्र में लूनी, जवाई, सूकड़ी, बांडी, सागी जोजड़ी घग्घर, कातली नदियाँ शामिल होती हैं।
- (ब) दक्षिण व पश्चिमी राजस्थान - इसमें पश्चिमी बनास, साबरमती, वाकल, व सेई नदियाँ शामिल होती हैं।
- (स) दक्षिणी राजस्थान - इसमें माही, सोम, जाखम, अनास मोरेन नदियाँ शामिल होती हैं।
- (द) दक्षिण - पूर्वी राजस्थान - इसमें चंबल, कुनु, पार्वती, कालीसिंध, कुराल, आहू, नेवज, परवन, मेज, गंभीरी, छोटी कालीसिंध, ढीला, खारी, माशी, कालीसिल, मोरेल, डाई, सोहादरा आदि नदियाँ शामिल होती हैं।

2. अपवाह के आधार पर वर्गीकरण - प्रिय छात्रों! नदियों के विभाजन का सबसे अच्छा तरीका है और इसी आधार पर नदियों को तीन भागों में बाँटा गया है।

(अ) बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ

इस अपवाह तंत्र में प्रमुख नदियाँ शामिल होती हैं। जैसे चंबल, बनास, कालीसिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च, गंभीरी, मेनाल, कोठारी, आहू, कालीसिंध तथा परवन आदि। ये नदियाँ अरावली के पूर्व में बहती हैं इनमें कुछ नदियों का उद्गम स्थल अरावली का पूर्वी घाट तथा कुछ का मध्यप्रदेश का विंध्याचल पर्वत है। यह सभी नदियाँ अपना जल यमुना नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं।

(ब) अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ -

इस अपवाह तंत्र में शामिल प्रमुख नदियाँ हैं। जैसे माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूनी, जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी इत्यादि। पश्चिमी बनास, लूनी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं, ये सभी नदियाँ अरब सागर की ओर अपना जल लेकर जाती हैं।

(स) अंतः प्रवाह वाली नदियाँ -

बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियाँ भी हैं जो कुछ दूरी तक प्रभावी होकर राज्य में अपने क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं तथा उनका जल समुद्र तक नहीं जा पाता है, इसलिए इन्हें आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ कहा जाता है, जैसे :- काकनी, कांतली, साबी, घग्घर, मेंथा, बांडी, रूपनगढ़ इत्यादि।

राजस्थान राज्य की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं -

- राजस्थान की अधिकांश नदियों का प्रवाह क्षेत्र अरावली पर्वत की पूर्व में है।
- राजस्थान में चंबल तथा माही के अलावा अन्य कोई नदी बारह मासी नहीं है।
- राज्य में चूरू, बीकानेर व फलोंदी तीन ऐसे जिले हैं जहाँ कोई नदी नहीं है।
- श्रीगंगानगर में पृथक् से कोई नदी नहीं है लेकिन वर्षा होने पर घग्घर नदी का बाढ़ का पानी सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक चला जाता है।
- राज्य के 60% भू-भाग पर आंतरिक जल प्रवाह का विस्तार है।
- राज्य में सबसे अधिक सतही जल चंबल नदी में उपलब्ध है।
- राज्य में बनास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है।
- राज्य में सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में बहती हैं।
- राज्य की सबसे बड़ी नदी चंबल है।
- पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं।
- मारवाड़ की जीवन रेखा लूनी नदी को कहते हैं।

- चंबल नदी राजस्थान की एक मात्र ऐसी नदी है जो प्राकृतिक अंतर्राज्य सीमा (राजस्थान, मध्यप्रदेश) निर्धारित करती है। इस नदी को अन्य नामों से भी जाना जाता है इसके अन्य नाम हैं चर्मणवती नदी, कामधेनु नदी, बारह मासी नदी, नित्य वाहिनी नदी।
- इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1051 किलो मीटर है। यह नदी मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तरप्रदेश अर्थात् 3 राज्यों में बहती है यह नदी मध्यप्रदेश में लगभग 320 किलो मीटर, राजस्थान में लगभग 322 किलो मीटर, उत्तरप्रदेश में लगभग 157 किलो मीटर बहती है तथा मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तरप्रदेश के मध्य 252 किमी लम्बी अंतरराज्यीय सीमा बनाती है।
- इस नदी का उद्गम स्थल मध्यप्रदेश के महु के निकट विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित 616 मीटर ऊंची "जानापाव की पहाड़ी" से होता है।
- मध्यप्रदेश में मंदसौर जिला में स्थित रामपुरा भानपुरा के पठारों में स्थित इस नदी का सबसे बड़ा बाँध "गांधी सागर बाँध" बना हुआ है।
- यह नदी राजस्थान में सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चौरासीगढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है।
- इस नदी पर भैंसरोड़गढ़ के समीप सबसे बड़ा सबसे ऊँचा जल प्रपात बना है जिसे चूलिया जल प्रपात के नाम से जानते हैं।
- चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नामक स्थान राणाप्रताप सागर बाँध बना हुआ है जो कि जल भराव की क्षमता से राज्य का सबसे बड़ा बाँध है। इस बाँध का 113 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
- चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बहने के बाद कोटा जिले में प्रवेश करती है।
- कोटा जिले में इस नदी पर जवाहर सागर व कोटा बैराज बाँध बना हुआ है कोटा बैराज बाँध जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग में नहीं लिया जाता।
- कोटा जिले के नौनेरा नामक स्थान पर "कालीसिंध नदी" चंबल में आकर मिल जाती है।
- यह स्थान प्राचीन काल में कपिल मुनि की तपस्या स्थली रहा था।
- कोटा तथा बूंदी जिले की सीमा निर्धारित करती हुई यह नदी बूंदी जिले में प्रवेश करती है।
- बूंदी जिले की केशवरायपाटन नामक स्थान पर इस नदी का सर्वाधिक गहरा पाट है जो 113 मीटर की गहराई तक है।
- बूंदी जिले से आगे चल कर यह नदी कोटा तथा सवाई माधोपुर की सीमा निर्धारित करती है।
- सवाई माधोपुर जिले के खण्डार तहसील के रामेश्वर नामक स्थान पर बनास तथा सीप नदी चंबल में आकर मिलती है तथा यहाँ त्रिवेणी संगम बनाते हैं।
- सवाई माधोपुर जिले के पालीया नामक स्थान पर चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती इसमें आकर मिलती है।

- धौलपुर जिले के पीलहाट होते हुए यह नदी राजस्थान से बाहर निकलती है और उत्तरप्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है।
- अंत में यह नदी उत्तरप्रदेश राज्य के इटावा जिले के मुरादगंज कस्बे में 275 किलो मीटर बहने के बाद यमुना में मिल जाती है यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है।

चंबल नदी से संबंधित अन्य तथ्य -

- चंबल नदी राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का 20.90% भाग में है। यह नदी "गांगेय सूस" नामक स्तन पायी जीव के लिए प्रसिद्ध है।
- चंबल यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामित राज्य की एकमात्र नदी है व बहाव की क्षमता की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी चंबल ही है।
- यह सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है इसीलिए इसे "वाटर सफारी नदी" भी कहा जाता है।
- चंबल नदी से सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कोटा जिले में होता है।
- चंबल नदी राज्य के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में बहती है।
- यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर प्रत्येक 100 किलो मीटर की दूरी पर 3 बड़े बाँध बने हुए हैं और तीनों ही बाँध से जल विद्युत उत्पादन होता है।
- चंबल नदी में घड़ियाल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं इस कारण चंबल नदी को घड़ियालों की जन्मस्थली कहा जाता है।

चंबल की सहायक नदियाँ -

- मध्यप्रदेश में मिलने वाली नदियाँ - सीवान, रेतम, शिप्रा।
- राजस्थान में मिलने वाली नदियाँ - आलनिया, परवन, बनास, कालीसिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, छोटी कालीसिंध आदि।

शोर्ट ट्रिक

चम्बल नदी की सहायक नदियों के नाम:-

"बना काली बाम मे कल पर्व चम्बल पर"

सूत्र	नदियाँ
बना	- बनास
काली	- कालीसिंध
बाम	- बामनी
मे	- मेज
कल	- कुराल
पर्व	- पार्वती

चंबल नदी पर चार बाँध बनाए गए हैं -

- गाँधी सागर बाँध - मध्यप्रदेश की भानपुरा तहसील में
- राणाप्रताप सागर बाँध - रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)
- जवाहर सागर बाँध - बोरा बास, कोटा
- कोटा बैराज बाँध - कोटा

- राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी घग्घर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों (कालका माता के मंदिर के पास) से होता है।
- यह नदी पंजाब, हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और भटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। किंतु कभी - कभी अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में यह नदी श्रीगंगानगर जिले में भी प्रवेश करती है तथा यहाँ पर यह नदी तलवाड़ा झील का निर्माण करती है।
- इसके पश्चात् यह नदी सूरतगढ़, अनूपगढ़ में बहती हुई कभी - कभी पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में प्रवेश कर जाती है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक जाकर समाप्त हो जाती है।
- पाकिस्तान में इस नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा नाम से जाना जाता है। हकरा एक फारसी शब्द है और पंजाब में इसे चितांग नाम से जानते हैं।
- इस नदी को वैदिक काल में वृषद्वती नदी के नाम से जानते थे। ऋग्वेद के दसवें मंडल में इस नदी का उल्लेख है।
- इस नदी के कारण "श्रीगंगानगर" को राजस्थान का "धान का कटोरा" कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे नाली कहते हैं।
- यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि पाकिस्तान में बहती है।
- वर्षा ऋतु में इस नदी में पानी अधिक होने के कारण यह नदी इस नदी राजस्थान में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है इसीलिए इसे "राजस्थान का शोक भी कहते हैं।

कांतली नदी -

- यह नदी सीकर जिले में स्थित खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है।
- कांतली का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है।
- यह नदी सीकर व झुंझुनू में बहने के बाद झुंझुनू-चुरू की सीमा के पास मंडेला गाँव के समीप विलुप्त हो जाती है।
- यह एक मौसमी नदी है, क्योंकि यह केवल वर्षा की ऋतु में ही बहती है। कांतली नदी मिट्टी का कटाव अधिक करती है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में "काटली नदी" कहा जाता है।
- प्रसिद्ध गणेश्वर सभ्यता जो की सीकर में व सुनारी (खेतड़ी, झुंझुनू) है, इस सभ्यता का विकास इसी नदी के तट पर हुआ है।
- गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है।
- लगभग 5000 वर्ष पूर्व झुंझुनू जिले में इसी नदी के तट पर इस सभ्यता का विकास हुआ।
- यहाँ से मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए इससे ज्ञात होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व कांतली नदी में पानी की मात्रा रही होगी।
- कांतली नदी झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है।

- झुंझुनू इसी नदी के किनारे स्थित है।
- पूर्वतः प्रवाह की दृष्टि से कांतली नदी राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह वाली सबसे लम्बी नदी है।

साबी नदी -

- साबी का उद्गम जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से होता है। जयपुर से निकलने के बाद यह नदी कोटपूतली-बहरोड़ जिले में प्रवेश करती है। पटौदी (गुरुग्राम, हरियाणा) की नजफगढ़ झील में विलीन हो जाती है।
- यह वर्षा ऋतु में अपनी "विनाश लीला" के लिए प्रसिद्ध है।
- अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने का प्रयास किया था लेकिन वह असफल रहा था।
- जोधपुरा सभ्यता (कोटपूतली-बहरोड़) नामक उत्खनन स्थल से "हाथी दांत के अवशेष" मिले हैं वह इसी नदी के तट पर स्थित हैं।

रुपारेल नदी -

- रुपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले में स्थित उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, रुपारेल नदी को लसवारी नदी तथा वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी डींग जिले में प्रवेश कर समाप्त हो जाती है।
- इस नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 104 किमी है।
- सहायक नदी - शानगंगा, शूकरी, नारायणपुर

मेंथा (मेड़ा) नदी -

- मेंथा नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित मनोहर थाना क्षेत्र की पहाड़ियों से होता है। मेंथा नदी उत्तर दिशा में बहकर जाती है और नागौर में प्रवेश कर सांभर झील में मिल जाती है। नागौर जिले में स्थित प्रसिद्ध जैनियों का लूँवाणा तीर्थ स्थल इसी मेंथा नदी के किनारे स्थित है।

काकनी नदी या काकनेय नदी -

- काकनी नदी या काकनेय नदी का उद्गम जैसलमेर जिले के कोठारी गाँव से होता है। इस नदी को "मसूरड़ी नदी" के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल 17 किलोमीटर बहती है अर्थात् इसकी कुल लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है। यह राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह वाली नदी भी है। इसका समापन स्थल जैसलमेर जिले का बुझनी गाँव है। जहाँ यह बुझ झील का निर्माण करती है।

रुपनगढ़ नदी -

- यह सलेमाबाद, किशनगढ़ (अजमेर) से निकलती है। यह नदी उत्तर - पश्चिम में बहती हुई सांभर झील में विलीन हो जाती है। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है।

नोट- राजस्थान की दो नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है-

- सरस्वती नदी जो वर्तमान में घग्घर नदी के रूप में जाती है तथा
- द्रव्यवती नदी, जो जयपुर में बहती थी, जो वर्तमान में अमानीशाह का नाला के रूप में बहती है।

राजस्थान में नदियों की लम्बाई से सम्बंधित प्राचीन आंकड़े-

चम्बल - 965 / 966 किमी, बनास - 480 किमी, माही- 576 किमी, बाणगंगा- 380 किमी, लूणी- 350 किमी,
नोट - अगर प्रश्न पत्र में विकल्प में पुराने आंकड़े पूछे गये हो तो उपरोक्त आंकड़ों को भी ध्यान में रखें।

राजस्थान में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर-

1. **हनुमानगढ़ (राजस्थान) :-** राजस्थान का हनुमानगढ़ घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है।
2. **कोटा (राजस्थान) :-** राजस्थान का कोटा चम्बल नदी के किनारे बसा हुआ है।
3. **चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) :-** राजस्थान का चित्तौड़गढ़ बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है।
4. **टोंक (राजस्थान) :-** राजस्थान का टोंक बनास नदी के किनारे बसा हुआ है।
5. **झालावाड़ (राजस्थान) :-** राजस्थान का झालावाड़ कालीसिंध नदी के किनारे बसा हुआ है।
6. **गुलाबपुरा (राजस्थान) :-** राजस्थान का गुलाबपुरा खारी नदी के किनारे बसा हुआ है।
7. **जालौर (राजस्थान) :-** राजस्थान का जालौर सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है।
8. **नाथद्वारा (राजसमंद, राजस्थान) :-** राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले का नाथद्वारा बनास नदी के किनारे बसा हुआ है।
9. **भीलवाड़ा (राजस्थान) :-** राजस्थान का भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ है।
10. **विजयनगर (राजस्थान) :-** राजस्थान का विजयनगर खारी नदी के किनारे बसा हुआ है।

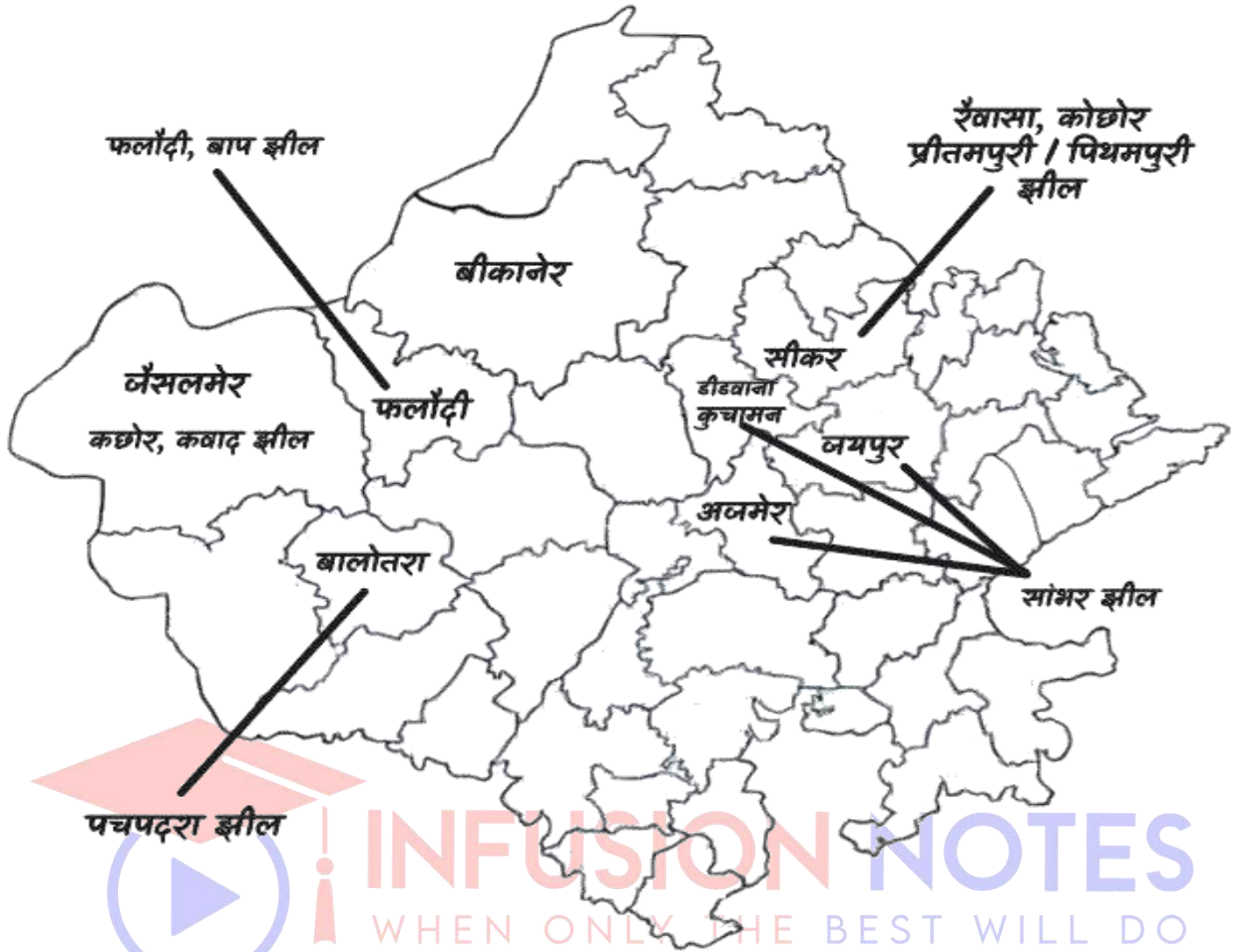
11. **सूरतगढ़ (राजस्थान) :-** राजस्थान का सूरतगढ़ घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है।
12. **पाली (राजस्थान) :-** राजस्थान का पाली नगर बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है।
13. **सुमेरपुर (पाली, राजस्थान) :-** राजस्थान राज्य के पाली जिले का सुमेरपुर नगर जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है।
14. **आसीद (भीलवाड़ा, राजस्थान) :-** राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले का आसीद खारी नदी के किनारे बसा हुआ है।
15. **सवाई माधोपुर (राजस्थान) :-** राजस्थान का सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे बसा हुआ है।
16. **बालोतरा (राजस्थान) :-** बालोतरा जिला लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है।
17. **झुंझुनू (राजस्थान) :-** झुंझुनू जिला कान्तली नदी के किनारे बसा हुआ है।

शोर्ट ट्रिक्स :- नदी के तट पर बसे हुए राजस्थान के शहर

सूत्र	नदी	स्थान
चमको	चम्बल	कोटा
कला झुला	कालीसिंध	झालावाड़
जवा सुमेरपाल	जवाई	सुमेरपुर (पाली)
बड़ा है चित्ता	बेड़च	चित्तौड़गढ़
खा आ भील	खारी	आसीद (भीलवाड़ा)
बाल हैं लम्बे	लूनी	बालोतरा

जिला	नदियों के नाम
अजमेर	डाई, लूनी
उदयपुर	सोम, साबरमती, बेड़च, बाकली
अलवर	साबी, गौरी, सोटा, काली, स्पारेल
श्रीगंगानगर	घग्घर
कोटा	(चंबल, पार्वती, कालीसिंध, परवन, निवाज)
चित्तौड़गढ़	(बनास, बामनी, बेड़च, बागन, बागली, औराई, सीबना, गंभीरी)
चूरू	कोई नदी नहीं है
जयपुर	(ढूँढ, बांडी, मोरेल, डाई, सीतामाशी, सखा)
जोधपुर	मीठड़ी (माठड़ी)
जालौर	(सूकड़ी, बांडी, जवाई, लीलडी)
जैसलमेर	काकन (काकनेन), चांथण, लाठी, धोगड़ी,
झुंझुनू	कांतली
झालावाड़	कालीसिंधी, छोटी कालीसिंध, निवाज, पार्वती, आहू
झुंझुनू	(माही, सोम, सोनी, जाखम)
बाँसवाड़ा	माही, चैनी, अन्नस

(अ) खारे पानी की झीलें -



1. सांभर झील

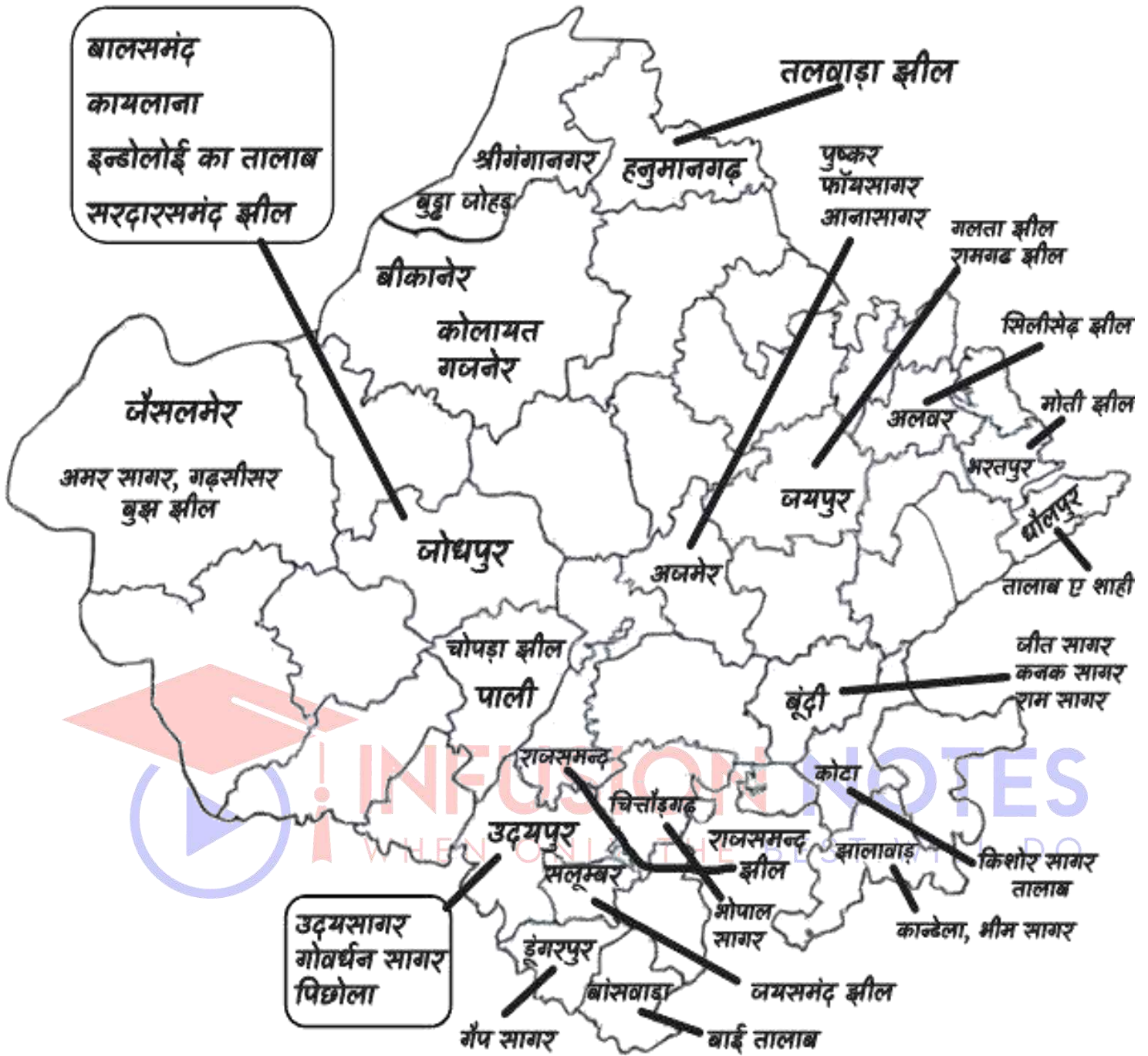
- राजस्थान के जयपुर - फुलेरा मार्ग पर जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित सांभर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक एवं खारे पानी की झील है।
- इस झील का विस्तार 3 जिलों में है - जयपुर, अजमेर और नागौर, लेकिन सर्वाधिक विस्तार जयपुर जिले में है और इसका प्रशासनिक अधिकार नागौर जिले का है।
- इस झील की लंबाई दक्षिण - पूर्व से उत्तर - पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 3 से 12 किलोमीटर है इसका कुल अपवाह क्षेत्र लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है।
- सांभर झील में मेंथा नदी, रुपनगढ़ नदी, खारी नदी और खंडेला नदी आकर मिलती हैं। इस झील पर भारत सरकार की "हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड कंपनी" द्वारा नमक उत्पादन कार्य किया जा रहा है।
- हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 ई. में की गयी। इस झील में प्रति 4 मीटर की गहराई पर 350 लाख टन

नमक उत्पादन होता है जो भारत के कुल उत्पादन का 8.7% सांभर झील से ही उत्पादित होता है।

- इसे 1990 ई. में रामसर साइट में शामिल किया गया।
- इस झील में 'क्यारी पद्धति' द्वारा किया जाता है।
- सांभर झील में सर्दियों में फ्लेमिंगो (राजहंस) पक्षी उत्तरी एशिया से बड़ी संख्या में आते हैं।

इस झील से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य -

- सांभर झील "स्वाइसरूबीना" नामक शैवालों के लिए प्रसिद्ध है। इस शैवाल से 60% प्रोटीन प्राप्त होता है।
- यह झील अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के लिए भी जानी जाती है जैसे -
- तीर्थ स्थली देव्यानी अर्थात् तीर्थों की नानी,
- शाकंभरी माता का मंदिर,
- संत हमीदुद्दीन की पुण्य भूमि,
- जहाँगीर की ननिहाल,
- अकबर की विवाह स्थली



शोर्ट ट्रिक

राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के नाम:-
“जयराज, अना, नडीसि कोका फतेह कर”

सूत्र	झीलें
जय	- जयसमन्द झील
राज	- राजसमन्द झील
अना	- अनासागर झील
न	- नक्की झील
डी	- डीडवाना झील
सि	- सिलीसेढ़ झील
को	- कोलायत झील
का	- कायलाना झील
फतेह	- फतेहसागर झील

विस्तृत वर्णन -

1. पुष्कर झील -

- राजस्थान राज्य के अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर (अजमेर शहर से 11 किलो मीटर दूर) स्थित पुष्कर झील एक प्रसिद्ध झील है।
- ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया था इसलिए इस झील का नाम "पुष्कर झील" पड़ा, लेकिन भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है इसलिए इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है।
- यह राजस्थान की प्राचीन, प्राकृतिक एवं सबसे पवित्र झील है।
- इस झील के किनारे प्रसिद्ध ब्रह्माजी का मंदिर स्थित है ऐसा माना जाता है कि ब्रह्माजी मंदिर में मूर्ति आद्यगुरु



राजस्थान की राजव्यवस्था

अध्याय - 1

राज्यपाल

प्रिय छात्रों, इस अध्याय के अंतर्गत हम राजस्थान की राजव्यवस्था का अध्ययन करेंगे और समझेंगे की एक राज्य की राजव्यवस्था एक देश की व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है और किस प्रकार समान है।

इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग राज्य का विधानमंडल, उच्च न्यायालय, राज्य महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, पंचायतीराज इत्यादि अध्यायों को पढ़ेंगे।

- भारतीय संविधान के **भाग-VI** में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- **अनुच्छेद 153** के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। **लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956** द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- **अनुच्छेद 154** के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन **अनुच्छेद 163** के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।
- **अनुच्छेद 155** के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते हैं जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- **राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 'कनाडा' से लिया गया है।**

संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गईं जो निम्न हैं -

1. संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
11. राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

❖ राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश

➤ सरकारिया आयोग

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया
सिफारिश -

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।
- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

➤ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

सिफारिश -

इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में **कॉलेजियम व्यवस्था** होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

➤ पूछी आयोग

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूछी

सिफारिश -

- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।
- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए।

➤ राजमन्नार आयोग

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्नार

NOTE- सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग व पूछी आयोग का सम्बन्ध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधों से है।

- **अनुच्छेद 156** इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/ कार्यकाल का उल्लेख लिया गया है।
अर्थात् राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।
- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।
 - राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।
 - राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।
 - राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।

❖ **राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है।**

अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद योग्यताएँ/ अर्हताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो। (जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

➤ **अनुच्छेद 158** राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते

1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
2. यदि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।
- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित) करती है।
- राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
- राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
- पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
- यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है (7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा) तो भी उसे वेतन। पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

➤ **अनुच्छेद 159** राज्यपाल पद की शपथ

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्य निर्वहन की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दी जाती है। राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण के शपथ लेता है।

NOTE :- राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची- 3 में नहीं मिलता है।

➤ **अनुच्छेद 160** कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन

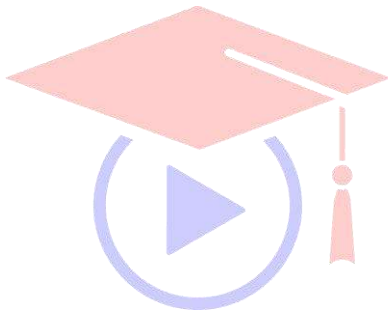
राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य लरने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी जैसे- राज्यपाल पद के खाली होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद का कार्यों का निर्वहन करना।

❖ **राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां -**

1. **कार्यपालिका संबंधी कार्य -**

- **अनुच्छेद 166** के तहत राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात् राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।
- **अनुच्छेद 164** के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें **पद एवं गोपनीयता** की शपथ दिलाता है।
- **राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे-** अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता, अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरर्हताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं।) (अनुच्छेद 317)
- **अनुच्छेद 217** के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- **अनुच्छेद 233** के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात करता है।
- **अनुच्छेद 167** के तहत राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य की विधायी व प्रशासनिक सूचना मुख्यमंत्री से प्राप्त करें।
- **अनुच्छेद 356** के तहत राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
- **अनुच्छेद 243 K-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 2A-नगर निकायों** के लिए राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- **अनुच्छेद 243 I-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 Y- नगर निकायों** के लिए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- राज्यपाल सभी राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्त करता है।
- राज्य सुचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सुचना आयोग व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के

35.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह	6 सितम्बर, 2007 - 9 जुलाई, 2009
36.	श्री रामेश्वर ठाकुर (कार्यवाहक)	10 जुलाई, 2009 - 22 जुलाई, 2009
37.	श्री शिलेन्द्र कुमार सिंह	23 जुलाई, 2009 - 24 जनवरी, 2010
38.	श्री मती प्रभाराव (कार्यवाहक)	03 दिसम्बर, 2009 - 24 जनवरी, 2010
39.	श्रीमती प्रभाराव	25 जनवरी, 2010 - 26 अप्रैल, 2010
40.	श्री शिवराज पाटिल (कार्यवाहक)	28 अप्रैल, 2010 - 11 मई, 2012
41.	श्रीमती मार्पोट आलवा	12 मई, 2012 - 7 अगस्त, 2014
42.	श्री रामनाईक (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 2014 - 3 सितम्बर, 2014
43.	श्री कल्याणसिंह	8 सितम्बर, 2014- 8 सितम्बर, 2019
44.	श्री कलराज मिश्र	9 सितम्बर, 2019 से 30 जुलाई 2024
45.	हरिभाऊ किसनराव बागडे	31 जुलाई 2024 से लगातार...



INFUSION NOTES
 WHEN ONLY THE BEST WILL DO

➤ हीबर्ट के अनुसार

- कर्तव्य किसी भी व्यक्ति की किसी कार्य को करने की वह बाध्यता है जिसका नियंत्रण किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा राज्य की सहायता से किया जाता है।
- कर्तव्य विधिक अथवा अविधिक हो सकते हैं।
- यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है तो उसे उसका नैतिक कर्तव्य कहा जाता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनी रूप से राज्य द्वारा बाध्य है तो उसे उसका विधिक कर्तव्य कहा जाता है।

➤ अधिकार तथा कर्तव्य में संबंध

- सभी विधिवेत्ता इस बात से पूर्ण रूपेण सहमत हैं कि प्रत्येक अधिकार के साथ अनन्य रूप से एक कर्तव्य स्थित होता है।
- लेकिन इसकी विपरीत अर्थात् प्रत्येक कर्तव्य के साथ क्या कोई अधिकार सदैव होता है, यह सही नहीं है।
- कई बार ऐसे निरपेक्ष कर्तव्य भी पाए जाते हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं।
- स्वयं के प्रति ईश्वर के प्रति अथवा पशु के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उन्हें निरपेक्ष कर्तव्य कहा जाता है। ऐसे कर्तव्य के उल्लंघन पर कोई दंड नहीं होता है।

अध्याय - 13

नागरिक अधिकार - पत्र घोषणापत्र

➤ नागरिक घोषणापत्र (Citizen Charter) के बारे में -

- नागरिक घोषणापत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें संगठन की अपनी सेवाओं के मानक, संगठन संबंधी सूचनाओं, पसंद और परामर्श, सेवाओं तक भेदभाव रहित पहुँच, शिकायत निवारण एवं शिष्टाचार आदि के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धताओं का व्यवस्थित विवरण होता है।
- यह पत्र में सार्वजनिक सेवाओं का नागरिक केंद्रित होना सुनिश्चित किया जाता है।
- यह सुशासन के तीन महत्वपूर्ण घटकों यथा- पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेहिता को लागू करने तथा सरकार एवं नागरिकों के मध्य अंतराल को कम करने के लिये एक महत्वपूर्ण साधन है।
- वर्ष 1992 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ सिटीजन चार्टर की इस अवधारणा को पेश किया। नागरिक चार्टर के सिद्धांत इस प्रकार थे:
 - a. गुणवत्ता: सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार
 - b. जहाँ भी संभव हो विकल्पों को बढ़ाना
 - c. मानक: मानकों की पूर्ति हेतु निर्देशन
 - d. करदाताओं के पैसे का मूल्य
 - e. व्यक्तिगत लोक सेवकों और सार्वजनिक कार्यालयों की जवाबदेही

➤ सिटीजन चार्टर के भाग

सरकारी नागरिक चार्टर के नियमों और प्रक्रियाओं की पारदर्शिता तीन भागों से बनती है।

- A. विभाग का विजन और मिशन स्टेटमेंट
- B. आई.टी.आई द्वारा विभाग और सेवाओं को पूरा किया गया
- C. नागरिकों के कर्तव्य और दायित्व

➤ भारत में नागरिक घोषणापत्र

- ब्रिटेन में लोक सेवाओं में दक्षता लाने के लिये वर्ष 1991 में नागरिक घोषणापत्र लागू किया गया।
- भारत में वर्ष 1997 में भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।
- इस सम्मेलन में प्रभावी एवं जिम्मेदार प्रशासन हेतु एजेंडा पर सिफारिश की गई कि सभी लोक संगठनों के लिये नागरिक घोषणापत्र लाने के प्रयास किये जाएँ।
- इसके तहत चिन्हित मंत्रालयों एवं विभागों में नागरिक घोषणापत्र के निर्माण की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया गया।

- वर्ष 2004 में प्रशासनिक सुधार एवं शिकायत निवारण विभाग ने नागरिक घोषणापत्र पर एक प्रपत्र प्रस्तुत किया जिसमें आदर्श नागरिक घोषणापत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए।
- इसके अनुसार घोषणापत्र में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित होने चाहिये:
 1. विज़न एवं मिशन का विवरण।
 2. संगठन द्वारा संपादित कार्यों का विवरण।
 3. संगठन से जुड़े ग्राहक समूहों का विवरण।
 4. ग्राहकों को प्रदत्त सेवाओं का विवरण।
 5. जन शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी।
 6. चार्टर का सरल होना आवश्यक।
- **सेवा प्रदायगी में नागरिक घोषणापत्र की भूमिका**
 - सेवा प्रदायगी को बेहतर करना अर्थात् सार्वजनिक सेवाओं की समय पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है।
 - नागरिकों के प्रति अधिकारियों की जिम्मेदारी एवं जबाबदेही को सुनिश्चित करता है।
 - पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जबाबदेही को सुनिश्चित कर प्रशासन में जनता की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होता है।
 - नागरिकों को जन सेवाओं की प्राप्ति संबंधी अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक होता है।
 - यह सुनिश्चित करता है कि शिकायत के संबंध में कहाँ संपर्क करना है।
 - कर्मचारियों में अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दबाव एवं प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है जिसका सीधा लाभ नागरिकों को प्राप्त होता है।
 - नागरिकों एवं प्रशासन के मध्य अंतराल को कम करने में सहायक होता है।
- **नागरिक चार्टर को प्रभावी बनाने के उपाय -**
 - i. आदर्श नागरिक घोषणा पत्र संहिता का पालन किया जाए।
 - ii. नागरिक घोषणा पत्र बनाते समय शोध और अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाए।
 - iii. नागरिक घोषणापत्र के निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं परामर्शी बनाने के लिये नागरिक समाज व मीडिया की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जाए।
 - iv. नागरिक घोषणापत्र का समयबद्ध पुनर्मूल्यांकन किया जाए।
 - v. जन प्रतिक्रियाओं के आधार पर नागरिक घोषणापत्र में सुधार या परिवर्तन किया जाए।
 - vi. नागरिक घोषणापत्र को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए।
- **किसी सरकारी संस्थान की कार्य-संस्कृति को सुधारने में नागरिक घोषणापत्र निम्नलिखित प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकता है-**
 - i. सरकारी संस्थान के कर्मचारियों में नौकरी की अत्यधिक सुरक्षा (Job security) के चलते किसी प्रकार के

- नकारात्मक प्रभाव का खतरा नहीं होता। इसीलिये वो प्रायः अपने काम के प्रति थोड़ा लापरवाह होते हैं। परंतु, यदि सरकारी संस्थानों में नागरिक घोषणापत्र लागू कर दिया जाए तो कर्मचारियों के लिये समय रहते अपने लक्ष्य पूरे करना आवश्यक हो जाएगा है और वो अपने उत्तरदायित्व के प्रति ज्यादा सजग रहेंगे।
- ii. सरकारी संस्थान की कार्य संस्कृति में प्रायः नवाचारों के प्रति असहमति का भाव होता है। नागरिक घोषणापत्र लागू होने से कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों को समय पर करने तथा परिणाम जल्दी पाने के लिये नवाचारों को अपनाना होगा। उदाहरण के तौर पर कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण हो जाना।
 - iii. सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों में प्रायः एकता की भावना की अनुपस्थिति होती है। परंतु, नागरिक घोषणापत्र लागू करने से कार्य का दबाव बढ़ने के फलस्वरूप एक-दूसरे के सहयोग की अपेक्षा के चलते कर्मचारियों में एकता की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है।
- **नागरिक चार्टर के लाभ:**

सिटीजन चार्टर किसी देश की आम जनता के लिए मददगार साबित होता है। नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

 1. बेहतर सेवा वितरण
 2. जनता के प्रति अधिकारियों की जवाबदेही
 3. सेवाओं के साथ विशाल जन संतुष्टि
 4. बढ़ी हुई पारदर्शिता, जो आगे चलकर शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देती है
 5. लोकसेवकों और सार्वजनिक कार्यालयों की बेहतर जवाबदेही
 6. यह नागरिकों के कर्तव्यों पर प्रकाश डालता है
 7. यह भी निर्दिष्ट करता है कि शिकायत के मामले में किससे संपर्क करना है।
- **नागरिक घोषणापत्र का मूल्यांकन -**
 - वर्ष 2002-03 में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत निवारण विभाग ने एक निजी एजेंसी द्वारा तथा वर्ष 2008 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा विभागीय नागरिक घोषणापत्रों का मूल्यांकन और निम्नलिखित कमियों का उल्लेख किया गया-
 1. अधिकांश नागरिक घोषणापत्रों का प्रारूप ठीक नहीं होता तथा उसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं का अभाव होता है।
 2. अधिकांश घोषणापत्रों के निर्माण में पारदर्शिता एवं परामर्शी प्रक्रिया का अभाव होता है।
 3. नागरिक घोषणापत्रों में नवोन्मेष एवं अद्यतन जानकारियों का अभाव होता है।
 4. समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता।
 5. जागरूकता एवं जागरूकता प्रसार के प्रयास का अभाव पाया गया।

अध्याय - 14

महिला एवं बाल अपराध

- **विश्व में समय** - समय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठती रही है। इनमें भारत भी शामिल है। भारत में महिलाएँ सामाजिक रीति - रिवाजों द्वारा शोषित और दमित होती रही हैं।
- इन अपराधों के निवारण में कमी एवं रोक हेतु विधान की आवश्यकता थी। इसलिए समय - समय पर भारतीय संसद ने महिलाओं से संबंधित विधि का निर्माण किया है। भारतीय संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने करने के पूर्ण प्रयास किए गए हैं।
- **हिंसा** - किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक आघात पहुँचाने उद्देश्यों के लिए किये गए शक्ति के प्रयोग को हिंसा कहते हैं।
- **अपराध** - जान बूझ कर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो समाज विरोधी हो या किसी भी प्रकार से समाज द्वारा निर्धारित आचरण का उल्लंघन अथवा जिसके लिए दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) के अंतर्गत विधि द्वारा निर्धारित सजा दिया जाता हो ऐसे काम अपराध कहलाते हैं।
- उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंसा और अपराध दोनों का एक - दूसरे से सीधा संबंध रखते हैं। ऐसी कोई भी क्रिया - कलाप जिससे किसी व्यक्ति विशेष या समूह, समुदाय, समाज की भावनाएँ और स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और व्यवस्थाओं में आवाहित प्रभाव पड़े, वे सभी हिंसा और अपराध के श्रेणी में रखे जायेंगे। अपराध को हम एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं -
- अपराध मनुष्य जाति के लिए जंगल में लगी आग की भाँति होती है अगर इसे समय रहते नहीं रोका जाए तो यह भयंकर विध्वंस का रूप धारण कर मानव जाति पर एक प्रश्न खड़ा कर सकती है।

➤ महिला अपराधों से संबंधित अति महत्वपूर्ण विधि -

1. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
2. भारतीय दंड संहिता, 1860
3. भारतीय साक्ष्य, 1872 अधिनियम
4. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872
5. 1882 संपत्ति अधिनियम का स्थानांतरण
6. रखवालों और वार्ड अधिनियम, 1890
7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
8. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
9. बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929
10. संपत्ति अधिनियम, हिंदू महिलाओं के अधिकार, 1937
11. पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936
12. मुस्लिम विवाह का विघटन, अधिनियम 1939

13. कारखाना अधिनियम, 1948
14. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
15. भारत का संविधान, 1950
16. खान अधिनियम, 1952
17. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
18. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
19. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 1956
20. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
21. हिंदू को गोद देने और भरण - पोषण अधिनियम, 1956
22. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
23. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
24. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961-1965
25. विदेश विवाह अधिनियम, 1969
26. गर्भावस्था अधिनियम की मेडिकल टर्मिनेशन, 1971
27. दंड प्रक्रिया संहिता, अधिनियम 1973
28. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984
29. महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986
30. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986
31. सती निवारण अधिनियम, 1987
32. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
33. जाति अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
34. महिला अधिनियम, के लिए राष्ट्रीय आयोग, 1990
35. मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993
36. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व Diagnostic तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध), 1994 के कानून
37. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1996
38. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000
39. गर्भावस्था के विनियम के मेडिकल टर्मिनेशन, 2003
40. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
41. विधेयक के मसौदे "विवाह अधिनियम 2005 के अनिवार्य पंजीकरण"
42. वृद्धजन 'रख-रखाव, देख-भाल और संरक्षण विधेयक, 2005
43. महिलाओं का संरक्षण, अधिनियम 2005
44. घरेलू हिंसा कानून से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
45. परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005
46. निषेध का बाल विवाह अधिनियम, 2006
47. रख-रखाव और माता-पिता के कल्याण और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007

शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती हैं तो उसे अपना बयान दुभाषियों या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने की अनुमति दी गयी है। ये अधिनियम संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग है।

- **दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी) 1973 दंड प्रक्रिया संहिता 1973** भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है। 1973 में पारित होकर यह कानून 1974 में लागू हुआ दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हमेशा दो प्रक्रियाएँ होती हैं, जिन्हें पुलिस अपराध की जांच करने में अपनाती है।
- **दहेज निषेध अधिनियम 1961 (संशोधित 1986) दहेज निषेध अधिनियम, 1961** की धारा 2 को दहेज (निषेध) अधिनियम 1984 और 1986 के अंतर्गत लेने - देने या इसके लेने - देने में सहयोग करना दोनों अपराध है। दहेज लेने - देने, या इसके लेने - देने में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माना का प्रावधान है।
- दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर या तो 6 महीने का अधिकतम कारावास है या 5000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ता है। बाद में संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सजाओं को भी बढ़ाकर न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 10 साल की कैद की सजा तय कर दी गयी। वहीं जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 10,000 रुपये, कर दी गयी या मांगी गयी दहेज की रकम, दोनों में से जो भी अधिक हो, के बराबर कर दिया गया है। हालाँकि अदालत ने न्यूनतम सजा को कम करने का फैसला किया है लेकिन ऐसा करने के लिए अदालत को जरूरी और विशेष कारणों की आवश्यकता होती है (दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4) दंडनीय है- दहेज देना, दहेज लेना, दहेज लेने और देने के लिए उकसाना एवं वधु के माता-पिता या अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग करना।

➤ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न,

धारा 498 A के अनुसार - जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति के नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, क्रूरता निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(A) **सोच** - समझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे स्त्री को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की सम्भावना है; या

(B) किसी स्त्री को परेशान करना, जहाँ उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध माँग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी

व्यक्ति के ऐसे माँग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार परेशान किया जा रहा है।

304 B इससे होने वाली मृत्यु और 306 भारतीय दंड संहिता - उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान है।

यदि किसी लड़की की विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 - B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है।

➤ अधिनियम से जुड़ी प्रमुख धाराएँ :-

- i. धारा 2 - दहेज का मतलब है कोई सम्पत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बाध्य करना।
 - ii. धारा 3 - दहेज लेने या देने का अपराध
 - iii. धारा 4 - दहेज की मांग के लिए जुर्माना
 - iv. धारा 4 A - किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मिडिया के माध्यम से पुत्र - पुत्री के शादी के एवज में व्यवसाय या सम्पत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव।
 - v. धारा 6 - कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना।
 - vi. धारा 8 A - घटना से एक वर्ष के अन्दर शिकायत।
 - vii. धारा 8 B - दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति।
- 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किये थे। जिसके अनुसार, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किये गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किया जाए।
 - महिला जहाँ कहीं भी स्थायी या अस्थायी तौर पर रह रही है वहीं से दहेज की शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए।
 - स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 - भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे विज्ञापन प्रकाशन, लेखन चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया है।

➤ प्रावधान -

- जिसके लिए प्रथम बार अपराध करने पर 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास तथा 2 हजार रुपए का जुर्माना।
- ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति करने पर न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास तथा न्यूनतम 10000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना।
- इसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित जगहों पर शिकायत किया जा सकता है: नजदीकी पुलिस स्टेशन,

- **बाल संरक्षण के लिए बनाए गए कानून निम्नलिखित हैं:-**
 बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य कराना संज्ञेय अपराध है। इनके हित के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया है।
 श्रम मंत्रालय में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सीआईआरएम मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है और इसे मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) सीएलसी (सी) संगठन के नाम से भी जाना जाता है। सीआईआरएम के प्रमुख आयुक्त (केन्द्रीय) हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और कामकाजी बच्चों के कल्याण हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड भी गठित किया गया है।

बाल श्रम के ऐसे केस जिसमें बच्चों के बंधुआ मजदूर के सामान स्थिति में पाए जाने पर बाल श्रम से संबंधित अपराधों में केस प्रकरण को और मजबूत करने के लिए बंधुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976 को भी लगाया जाता है।

खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रमिक नियोजित कराए जाने पर धारा - 14 के अंतर्गत दोषी नियोजक को कम से कम 3 माह एवं अधिकतम 1 वर्ष का कारावास तथा कम से कम रूपए 10,000 एवं अधिकतम रूपए 20,000 से जुर्माना से दंडित किया जाएगा।

- **बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के अनुसार बच्चों को दो श्रेणियों में बांटा गया है-**
 भारतीय संसद ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराने 18 वर्ष तक के किशोरों से खतरनाक क्षेत्रों में कार्य लेने के रोक के प्रावधान वाले बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) संशोधन विधयेक, 2016 को पारित किया था।
 एक ऐसा व्यक्ति, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी की हो, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, ऐसे बालक को किसी भी खतरनाक जोखिम वाले व्यवसायों या प्रक्रियाओं में काम पर नहीं लगाया जाना चाहिए और खतरनाक कार्य करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए।

बाल श्रम से जुड़े अनुच्छेद

- **अनुच्छेद - 23:** बालश्रम व मानव व्यापार का निषेध
- **अनुच्छेद - 21:** खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति निषेध।
- **अनुच्छेद - 34:** बालकों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होगी।
- **अनुच्छेद - 21 A:** 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार

➤ **बच्चों से सम्बन्धित भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ**

- **धारा - 82** इस धारा के अनुसार 7 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले बालक द्वारा कोई भी किया गया अपराध, अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। क्योंकि कि इस वर्ष तक के बच्चे की मानसिक क्षमता इतनी व्याप्त नहीं होती कि वह समझ पाए कि अपराध क्या होता है।
- **धारा- 83 :** इस धारा के अनुसार 0 से 12 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों द्वारा यदि कोई अपराध किया जाए तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। यदि बालक मानसिक रूप से विकृत है।
- **धारा - 305 :** किसी भी बालक द्वारा आत्महत्या व आत्मदाह का प्रयास करना अपराध माना जाएगा।
- **प्रावधान -**
 सजा 7 वर्ष
धारा - 326 : इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ तेजाब, हथियार आदि से हमला करना अपराध माना जाएगा।

प्रावधान -

जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत अपराध किया है। उस व्यक्ति को इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा प्रावधान किया गया है या फिर आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जा सकता है, या इसके अलावा साधारण कारावास की सजा हो सकती है, जिसकी समय सीमा को 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यायालय आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है।

- **धारा-326 A** इस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि जानबुझकर तेजाब या किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से हमला करता है तो कानून संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार आजीवन कारावास का प्रावधान है।
- **धारा-326 B :** यदि किसी व्यक्ति द्वारा तेजाब इत्यादि से हमला करने का प्रयास किया जाता है तो निम्न प्रावधान है - कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष सजा का प्रावधान है।
- **धारा - 369 :** इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी शिशु का अपहरण इस उद्देश्य से किया गया हो कि शिशु का कोई भी शारीरिक अंग को चुराया जाए तो यह अपराध होगा जिसके लिए निम्न प्रावधान है।
 कम से कम 1 वर्ष तथा अधिक से अधिक सजा 5 वर्ष तक के सजा

➤ बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भारत सरकार का अधिनियम है, जिसे समाज में बाल विवाह को रोकने हेतु लागू किया गया है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के धारा (B) के तहत यदि कोई विवाहित जोड़े में से कोई भी एक नाबालिग है, तो इसे बाल विवाह माना जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 से कम उम्र के लड़के को इस अधिनियम के तहत नाबालिग माना गया है। इसका अर्थ है कि विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु लड़की के लिए 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया है।

केन्द्र सरकार द्वारा 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके और उसके स्थान पर 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह निषेध अधिनियम लाकर हाल के वर्षों में इस प्रथा को रोकने की दिशा में काम किया गया है। इसके अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय किये गये हैं जो बाल विवाह कि इजाजत देते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। यह कानून नवम्बर 2007 में प्रभावी हुआ।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- इस अधिनियम के तहत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा।
- इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है।
- बाल विवाह करने वाले बयस्क पुरुष तथा बाल विवाह को संपन्न करने वालों को इस अधिनियम की धाराओं के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों सजा से दंडित किया जा सकता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे।
- इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को अमान्य घोषित करने का प्रावधान है।
- यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम (पोक्सो एक्ट), 2012- बालकों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों के समुचित उपचार एवं नियंत्रण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) लाया गया। 14 नवम्बर, 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो एक्ट) लागू किया गया। इस कानून में बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए पुलिस के स्तर पर शिकायत दर्ज कराने तथा न्यायाधिक प्रक्रिया को बाल मैत्रीपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। इस कानून के द्वारा न सिर्फ बच्चों के प्रति होने वाले कई तरह के यौन लैंगिक अपराधों को कानून के दायरे में लाया गया है, साथ ही इन अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से बच्चों के प्रति यौन हमला, यौन शोषण / उत्पीड़न, अश्लीलता गोपनीयता आदि को शामिल किया गया है। बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों

के प्रति माता पिता, स्कूल, पड़ोसी, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, मीडिया, सामाजिक एवं सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

➤ प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 3)

एक व्यक्ति जब अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बच्चे की योनि, मुँह मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बच्चे से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है तो यह प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है, जो की अपराध है।

किसी वस्तु या शरीर के ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बच्चे की योनि मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाता है या

बालक के लिंग योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, बालक के साथ ऐसा करवाता है। तो यह प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाता है, जो की अपराध है।

➤ प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा 4)

इस अधिनियम की धारा 4 में लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान करती है। यदि कोई प्रवेशन लैंगिक आघात करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

➤ गुरुतर प्रवेशन लैंगिक (धारा 5)

यदि कोई लोक सेवक होते हुए बच्चे पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है।

जब कोई किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देख - रेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी वृंद होते हुए, ऐसे जेल या प्रतिप्रेषण गृह या संरक्षण गृह या संप्रेषण गृह या अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के अन्य स्थान पर रह रहे किसी बालक पर लैंगिक हमला करता है।

➤ लैंगिक हमला (धारा 6)

धारा 6 के अनुसार जो कोई गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु वह आजीवन कारावास तक हो से दण्डित किया जायेगा और जुर्माना से भी दण्डनीय होगा।

➤ लैंगिक हमला (धारा 7)

जब कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को